IN THE COURT OF HON'BLE Ms. ANKITA MITTAL, JMIC
LUDHIANA

Police Station - Tibba Thana,
Ludhiana

COMI/ /2019

Mukesh Thakur ...Petitioner

Versus

Sh. Kapil Kumar (Belt No.2201) & ORS .....Respondent

INDEX

S. No.	Particulars		Dated	Pages
A.	INDEX		-do-	A
1.	Criminal misc. app		28-01-2019	1-6
2.	Affidavit			7-8
3.	Complaint to Punjab Human Right Commission.	P-1	03.07.2017	9-10
4	Complaint to Commissioner of Police, Ludhiana.	P-2	03.07.2017	11-12
5.	Complaint to Commissioner of Police, Ludhiana.	P-3	05.07.2017	13-19
6.	Complaint made on 19/8/17 by the mother of petitioner on 181 Helpline	P-4	19.08.2017	20-23
7	Complaint to Director General of Police, Punjab Through Email.	P-5	25.08.2017	24-26
8	Complaint to Punjab State Human Right Commission, Chandigarh Through Email.	P-6	02.09.2017	27-28
9	FIR No.343 DT.19/8/2017 P.S Basti Jodhewal, Ludhiana	P-7	19.08.2017	29-33
10	Complaint to Ld. District & Sessions Judge,	P-8	19.08.2017	34
11	Complaint to Punjab State Human Right Commission.	P-9	19.08.2017	35
12	Complaint to Commissioner of Police, Ludhiana.	P-10	19.08.2017	36
13	Complaint Given to Ms. Ekta, JMIC,	P-11	20.08.2017	37-38
14	Affidavit given by Sh. Sumant Kumar	P-12		39
15	Affidavit given by Sh. Sanjay Kumar	P-13		40
16	Statement of Sh. Sukhdev Singh	P-14		41-43
17	Arrest Memo	P-15	19.08.2017	44-45
18	Order pass by Ms. Ekta, JMIC, regarding not mention time in arrest memo	P-16	20.08.2017	46
19	Complaint to Punjab State Human Right Commission.	P-17	23.08.2017	47-49
20	Call Recording	P-18	19.08.2017	50-88
21	Affidavit given by Sh. Puneet Kumar	P-19		89
17	MLR of Mukesh Thakur	P-20	20.08.2017	90-92
18	Seeking Reply from SHO Basti Jodhewal, Ludhiana	P-21	20.08.2017	93
19	Id Prof of Mukesh Thakur	P-22		
20	Talwana	P-23		

Dated:- 28/01/2019

Mukesh Thakur

(Mukesh Thakur)
Petitioner in person
8146761055

Scanned by CamScanner

IN THE COURT OF HON'BLE Ms. ANKITA MITTAL, JUDICIAL MAGISTRATE 1ST CLASS, LUDHIANA

Police Station - Tibba Thana,
Ludhiana

COMI/ ____________ /2019

CRM/580/19
ND-5/4/19

Mukesh Thakur(aged 29 years), S/o Late Sh. Indrakant Thakur,
R/o H.No.14060, Street No.2, Ram Nagar, Tibba Road,
P.S Tibba Thana Ludhiana. ...Petitioner

Versus

1. **Sh.Kapil Kumar (Belt No.2201),** the then Chowki Incharge, Tibba Chowki, (Now Police Station as PS-Tibba) Ludhiana
2. **ASI Swarn Singh(Belt No.839),** PP-Tibba Chowki, (now police stations as PS-Tibba) Ludhiana.
3. **Sh.Harpreet Singh,** the then ASI, PS-Basti Jodhewal , Ludhiana
4. **Kashmir Singh, C (Belt No.3104)** PP-Tibba Chowki, (now police stations as PS-Tibba) Ludhiana;
5. **Sulakhan Singh, (Belt No.855) ASI,** the then ASI, PS-Basti Jodhewal, Ludhiana
6. **Vijay Kumar, (Belt No.776) HC** P.S Basti Jodhewal, Ludhiana
7. **Radhey Sham, (Belt No.2124) HC** P.S Basti Jodhewal, Ludhiana
8. **Arundeep Singh, (Belt No.3342) HC** P.S Basti Jodhewal, Ludhiana

...Respondents

Application under Section 220 of the Indian Penal Code, 1860 for Commitment of an Offence of wrongful confinement by the respondents, read with Section 357(3) of the Code of Criminal Procedure, 1973.

GROUNDS OF PETITION

1. That Petitioner is a citizen of India, whistle blower and working as a social activist with Bhristachar Virudh Jagriti Abhiyan, Ludhiana.
2. That a case title State vs Mukesh Thakur and ors FIR No.343 u/s 379B,506,120 P-S Basti Jodhewal is pending for next date 08.04.2019 in

ATTESTED
EXAMINER
LUDHIANA
13 MAR 2019

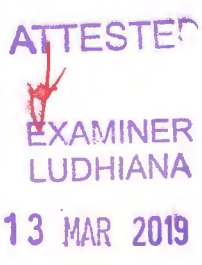

COPYING BRANCH
LUDHIANA
CIVIL JUDGE (Sr. Div.)

the court of Sh. Balwinder kumar ASJ, Ludhiana. that the present application is regarding to the above said case that the petitioner had made a complaint to the Punjab State Human Rights Commission on 03/07/2017(**Annexure P-1**), as well as to the Commissioner of Police Ludhiana(**Annexure-P2**) against the respondents for their **act of handcuffing** the petitioner & Sh. Lucky Gupta and of registering a number of fake cases against the petitioner & Sh. Lucky Gupta. On 5-7-2017 the petitioner had made a complaint to Police Commissioner, Ludhiana(**Annexure-P3**). In response to these complaints, the respondents on 19/08/2017 at about 5:00 - 5.30 am, arrested Sh. Lucky Gupta and thereafter the petitioner. **The mother of the petitioner called at helpline No.181 through mobile No.9803167299 at about 8:27 am (Annexure-P4). And thereafter complaint dated 25-8-2017 and 2-9-2017 were also sent to higher authorities for taking necessary action(Annexure-P5, P6)**

3. That on 19/08/2017, an FIR No.343/2017 was registered against the petitioner & Sh. Lucky Gupta u/s 379(B) 120B, 506 of IPC at Police Station – Basti Jodhewal, Ludhiana **at about 8:50 am,** i.e. more than 3 hours after the arrest was made **(Annexure P7).**

4- **That on 19-8-2017, the mother of the petitioner had also made complaint to Ld. District & Sessions Judge(Annexure –P8), Punjab State Human Right Commission(Annexure–P9) and Police Commissioner Ludhiana(Annexure –P10).**

5- That on 20-8-2017 the mother of the petitioner had also made complaint to Ms. Ekta, JMIC, Duty Magistrate at Ludhiana, while producing the petitioner & Sh. Lucky Gupta before the Duty Magistrate(**Annexure-P11**). Sh.Sumant Kumar S/o Late Sh. Chander bhan r/o 65-66 near kapoor karyana store, Beant colony Jamalpur, Chandigarh Road, Ludhiana was also present on 18/8/2017 from 8:00pm to 10:00pm in the shop of Dr.Lucky @jai Hind Gupta who stated that no person fought with Lucky and petitioner on that day between 8:00pm to 10:00pm.(**Affidavit Annexure-P12**). Sh.Sanjay Kumar s/o Chander Lal r/o 13865 St.No.2, Ramesh Nagar, Tibba Road, Ludhiana has stated that on 18-8-2017 Mukesh Thakur was present with me between 8:00pm to 10:00pm at the time of occurrence stated by police in the chargesheet.(**Affidavit Annexure-P13**)

6. Sh Sukhdev Singh s/o Joginder Singh has given his statement as Pw1 in the case State vs Mukesh Thakur in FIR no.343/2017 u/s 379B,506,120B PS Basti Jodhewal, Ludhiana. He has stated that cameras were installed at his house but he had not saved recording which was required to bring the truth

ATTESTED
EXAMINER
LUDHIANA

13- MAR 2019

COPYING BRANCH
LUDHIANA
CIVIL JUDGE (Sr. Div.)

to decided the matter transparently in the interest of natural justice(**Annexure-P14)**

7. **That the respondents in the present case have violated the following provisions that are essential to an arrest:**

- Time of Arrest on the Arrest Memo;
- To inform a friend or relative of the arrest;
- To present the arrestee in front of a Magistrate within 24 hours of Arrest.

8. ***Firstly***, the Police who had a Constitutional and Statutory of preparing an Arrest Memos, with the inclusion of all the ingredients that have been laid down by the Hon'ble Supreme Court of India in the case ***D. K. Basu*** **v.** ***State of West Bengal (1997 1 SCC 416)***, which is reproduced hereinbelow:

> "In addition to the be statutory and constitutional requirements to which we have made a reference, we are of the view that it would useful and effective to structure appropriate machinery for contemporaneous recording and notification of all cases of arrest and detention to bring in transparency and accountability. It is desirable that the officer arresting a person should prepare a memo of his arrest on witness who may be a member of the family of the arrestee or a respectable person of the locality from where the arrest is made. The date and time of arrest shall be recorded in The memo which must also be counter signed by The arrestee.
>
> We therefore, consider it appropriate to issue the following requirements to be followed in all cases of arrest or detention till legal provisions are made in that behalf as preventive measures :
>
> (1) The police personnel carrying out the arrest and handling the interrogation of the arrestee should bear accurate, visible and clear identification and name togs with their designations. The particulars of all such police personnel who handle interrogation of the arrestee must be recorded in a register.
>
> (2) That the police officer carrying out the arrest of the arrestee shall prepare a memo of arrest at the time of arrest a such memo shall be attested by at least one witness. who may be either a member of the family of the arrestee or a respectable person of the locality from where the arrest is made. It shall also be counter signed by the arrestee and shall contain the time and date of arrest."

ATTESTED
EXAMINER
LUDHIANA
13 MAR 2019

9. The Respondents, while preparing the Arrest Memo, did not mention the time of arrest of the Petitioner **(Annexure P-15)**, and this fact was acknowledged by Ms. Ekta, JMIC (Duty), Ludhiana, in her order dated 20.08.2017 **(Annexure P-16)** thereby, violating the guidelines given by the Hon'ble Supreme Court of India. Additionally, the Respondents arrested the petitioner and Sh. Lucky Gupta at around 5:00- 5:30 a.m., from his house on 19-8-2017, and the First Information Report in the case was lodged at 8:50 a.m., later that morning. It is submitted that even before the FIR was lodged, **the mother of the Petitioner called at help line No. 181 through mobile No. 9803167299 at about 8:27 am (Annexure-P4) vide Complaint No. 1812690**, pointing out clearly to the fact that the arrest made out of the petitioner and Sh. Lucky Gupta was with a corrupt and a malicious intent. No investigation of any sort was done prior to making the arrest, which is an essential ingredient so as to determine the liability of the person being arrested. Furthermore, the General Diary Report was entered later that day in the evening at 18:55pm. on 23.08.2017 Mother of petitioner had also made complaint regarding preserve the CCTV footage, mobile location of police officials, the petitioner, Sh. Lucky@Jaihind Gupta and Joginder Singh**(Annexure -17)**

10. Additionally, the mother of the Petitioner filed a complaint to the Commissioner of Police, Punjab State Human Right Commission, District and Sessions Judge, Ludhiana on 19.08.2017 itself with regards to the illegal arrest that was carried out against the Petitioner **(Annexure P-8,9 and 10)**. The wife and the mother of the petitioner continuously called several authorities from 6:00am to 8:27am regarding the illegal arrest of the petitioner (Annexure P-18).

11. ***Secondly***, the Respondents have mentioned the name of Puneet Kumar in the Arrest Memo as the friend of the arrestee who was informed about the arrest. However, Mr. Puneet Kumar has stated in his affidavit **(Annexure P-19)** that he was never informed about the arrest of the petitioner by the police, thereby violating Section 41-B of the Code of Criminal Procedure, 1873, as well as the judgement of the hon'ble Supreme Court.

12. ***Thirdly***, the Respondents were under a Constitutional obligation under Article 22 of the Constitution of India to present the arrestee in front of a Magistrate within 24 hours of the arrest. However, the arrestee and Sh. Lucky Gupta was presented in front of a Magistrate after more than 30 hours of arrest. This is proved as the medical of the petitioner was done at 4:55 pm on 20.08.2017**(Annexure P-20)**, after the order of the Magistrate was given at 4 pm on 20.08.2017 **(Annexure P-21)**. Therefore, after being

COPYING BRANCH LUDHIANA CIVIL JUDGE (Sr. Div.)
ATTESTED
EXAMINER
LUDHIANA
13 MAR 2019

COPYING BRANCH
LUDHIANA
CIVIL JUDGE (Sr. Div.)

arrested at 5- 5:30 am on 19.08.2017, the petitioner was brought in front of a Magistrate at 4 pm, 20.08.2017, i.e. after 34 hours of arrest, thereby violating the Fundamental Right of the petitioner as well.

13. Therefore, these facts clearly point out to the fact that the respondents, in this case, misused their authority of being a public official and made the illegal arrest of the Petitioner with a corrupt and malicious intent and thus, made themselves liable to be prosecute under Section 220 of the Indian Penal code, 1860.

14. Additionally, the Hon'ble Supreme Court has laid down in the same judgement of ***D. K. Basu*** **v.** ***State of West Bengal (1997 1 SCC 416)*** that:

> "Failure to comply with the requirements hereinabove mentioned shall apart from rendering the concerned official liable for departmental action, also render his liable to be punished for contempt of court and the proceedings for contempt of court may be instituted in any High Court of the country, having territorial jurisdiction over the matter.
>
> The requirements, referred to above flow from Articles 21 and 22 (1) of the Constitution and need to be strictly followed. These would apply with equal force to the other governmental agencies also to which a reference has been made earlier.
>
> These requirements are in addition to the constitutional and statutory safeguards and do not detract from various other directions given by the courts from time to time in connection with the safeguarding of the rights and dignity of the arrestee."
>
> Therefore, it is submitted that because the Respondents failed to fulfill all the ingredients that are essential to an arrest, and have also made themselves liable under Section 220 of the Indian Penal Code, 1860.

PRAYER

1. It is therefore, respectfully prayed that the present complaint be please taken into consideration by this Hon'ble Court and that Respondent be punished under Section 220 of the Indian Penal Code, 1860 for committing an offence of wrongful confinement under Section 220 of the Indian Penal Code, 1860.

2. It is also prayed that the Petitioners may please be awarded each a compensation of Rs. 5 Lakhs from each of the Respondent under

ATTESTED
EXAMINER
LUDHIANA
13 MAR 2019

Section 357(3) of the Code of Criminal Procedure, 1973, for mental agony suffered by the Petitioner, in conformity of the law laid down by the Hon'ble Supreme Court in number of cases awarding compensation for the infringement of the fundamental right to life of a citizen. (D.K. Basu v. State of West Bengal *(1997 1 SCC 416);* Rudal Shah Vs. State of Bihar [1983 (4) SCC, 141]: Sebastian M. Hongrey Vs. Union of India [1984 (3) SCC, 339] and 1984 (3) SCC, 82]; Bhim Singh Vs State of J & K [1984 (Supp) SCC, 504 and 1985 (4) SCC, 677] Saheli Vs. Commissioner of Police. Delhi [1990 (1) SCC 422]

It is further prayed that exemption from filing the certified copies of the annexures may kindly dispensed with, in the interest of justice.

Petitioner

Place: Ludhiana

Date:

(Mukesh Thakur)
Petitioner in Person

Verification:

It is verified that all the contents of the Complaint are true and correct to the best of knowledge as my client declared before me. No part of it is false and nothing material has been kept concealed therefrom.

Petitioner

Place: Ludhiana

Date: 28/01/2019

(Mukesh Thakur)
Petitioner in Person.

Number of copy applied........1
C.D. No........5408
Date of presentation of applicat... 16/2/19
Total Number of pages........6
Court Fee Rs........—
Copying Fee Rs........12
Urgent Fee........—
Search/Application fee Rs........Free
Name of Copyist........
Date on which copy prepared 13 MAR 2019
Examiner........

Date of Delivery 28/03/19

Examiner,
Copying Branch,
Civil Judge (Sr. Division)
LUDHIANA

Certified to be true copy
13 MAR 2019
Examiner,
Copying Branch, C.J.S.D
LUDHIANA
Authorised Section 76 of
The Exidence Act 1872

COPYING BRANCH
CIVIL JUDGE (Sr. DIV.)
LUDHIANA

(7)

IN THE COURT OF HON'BLE Ms. ANKITA MITTAL, JMIC
LUDHIANA

Police Station Tibba Thana,
Ludhiana

COMI/ _____ /2019

Mukesh Thakur(aged 29 years), S/o Late Sh. Indrakant Thakur,
R/o H.No.14060, Street No.2, Ram Nagar, Tibba Road,
PS Tibba Thana Ludhiana. ...Petitioner

Versus

1. **Sh.Kapil Kumar (Belt No.2201),** the then Chowki Incharge, Tibba Chowki, (Now Police Station as PS-Tibba) Ludhiana
2. **ASI Swarn Singh(Belt No.839),** PP-Tibba Chowki, (now police stations as PS-Tibba) Ludhiana.
3. **Sh.Harpreet Singh,** the then ASI, PS-Basti Jodhewal , Ludhiana
4. **Kashmir Singh, C (Belt No.3104)** PP-Tibba Chowki, (now police stations as PS-Tibba) Ludhiana;
5. **Sulakhan Singh, (Belt No.855) ASI,** the then ASI, PS-Basti Jodhewal, Ludhiana
6. **Vijay Kumar, (Belt No.776)** HC P.S Basti Jodhewal, Ludhiana
7. **Radhey Sham, (Belt No.2124)** HC P.S Basti Jodhewal, Ludhiana
8. **Arundeep Singh, (Belt No.3342)** HC P.S Basti Jodhewal, Ludhiana

...Respondents

Affidavit- Mukesh Thakur(aged 29 years), S/o Late Sh. Indrakant Thakur, R/o H.No.14060, Street No.2, Ram Nagar Tibba Road, P.S.-Tibba Thana, Ludhiana.

I, the above named deponent do hereby solemnly affirm and declare as under:-

That the contents of the Complaint are true and correct to my knowledge. No part of it is false and nothing has been kept concealed there from.

Ludhiana

Dated: 28/01/2019

Mukesh Thakur
(Mukesh Thakur)
Deponent

28 JAN 2019

Scanned by CamScanner

13949-1819-2832

I know the deponent who has signed before me in my presence

Verification:-

Verified that the contents of above affidavit are true and correct to the best of my knowledge. No part of it, is false and nothing has been kept concealed therefrom.

NOTARY GOVT. OF INDIA

Ludhiana

Dated: 28/01/2019

ATTESTED AS IDENTIFIED

NOTARY PUBLIC LUDHIANA

28 JAN 2019

Mukesh Thakur

(Mukesh Thakur)

Deponent

Scanned by CamScanner

P-1 (9)

दिनांक : 03.07.2017

पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग
SCO NO. 20-21-22, सेक्टर 34-A,
चंडीगढ़ - 160034

विषय: पुलिस अधिकारी द्वारा दबंगों के साथ मिलकर झूठी F.I.R. के पीड़ितों को हथकड़ी पहनाकर मौहल्ले में घुमाने के मामले में मानवाधिकार के हनन के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु|

महोदय,

मैं चंद्रकला ठाकुर पत्नि स्व. इंद्रकांत ठाकुर (पताः मकान नं. 14060, गली नं. 2, राम नगर, टिब्बा रोड, लुधियाना – 141007 Mob. 79735-71454) हूँ|

1 मेरे बेटे मुकेश ठाकुर व पीड़ित लकी उर्फ जयहिंद के खिलाफ पुलिस की मिलीभगत से झूठी F.I.R. नं. 236/2017 दिनांक 23.06.2017 को दर्ज की गई है जिनको 24.06.2017 को मजिस्ट्रेट कोर्ट न. Duty Magistrate में पेश किया गया था जहाँ से 2.00pm बजे के आसपास ज्युडिशियल कस्टडी में भेजने का आदेश दिया गया था मगर मजिस्ट्रेट का आदेश होने के बावजूद सीधा जेल में ना पहुँचाकर अमृतपाल सिंह उर्फ विक्की व सुखदेव सिंह के कहने पर पुलिस के अधिकारियों A.S.I. स्वर्ण सिंह व साथी हवलदार ने मेरे बेटे मुकेश व पीड़ित लकी उर्फ जयहिंद को हथकड़ियाँ लगाकर दिनांक 24.06.2017 की शाम को लगभग 4.30pm से 6.30pm बजे के बीच में मौहल्ले में घुमाया जिससे उनके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ व पीड़ा हुई इसलिये पुलिस अधिकारियों A.S.I. स्वर्ण सिंह व साथी हवलदार के खिलाफ मानवाधिकार के हनन के अंतर्गत सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये|

2. इस घटना के कई गवाह हैं मगर अमृतपाल सिंह उर्फ विक्की, सुखदेव सिंह व पुलिस के डर की वजह से कोई सामने आने के लिये तैयार नहीं हो रहा है| इस मौहल्ले में जैन कंपनी (गली न. 2, राम नगर, टिब्बा रोड, लुधियाना – 141007) भी मौजूद है जहाँ आने-जाने के रास्ते में CCTV कैमरे लगे हैं जिससे आनेजाने वालों की पहचान हो सकती है जिससे [illegible]

... दिखाई दे सकता है। मेरे द्वारा कंपनी के मालिक से निवेदन भी किया गया था ... CCTV फुटेज दे मगर पुलिस के दबाव में उनके द्वारा CCTV फुटेज नहीं दी गई ... दिनांक 24.06.2017 की शाम 4.30pm से 6.30pm बजे तक की CCTV फुटेज ... करवाई जाये जिससे पुलिस द्वारा किये गये अपराध के सबूत नष्ट ना हो सकें।

... कि, असल मामले को दबाने के लिये अमृतपाल सिंह उर्फ बिल्ली व सुखदेव सिंह ने पुलिस के साथ मिलकर झूठी F.I.R. नं. 236/2017 दिनांक 23.06.2017 दर्ज करवाई है।

पुलिस के द्वारा हथकड़ी पहना कर घुमाना सुप्रीम कोर्ट के संविधान का हनन है साथ ही मानवाधिकार का भी हनन है।

5 लकी उर्फ जयहिंद की क्लीनिक से CCTV Camera व प्रिंटर के साथ-साथ अन्य कीमती सामान बिना पंचनामा किये जब्त किये गये जिसको रिकॉर्ड पर भी नहीं लिया गया है।

चंद्रकला ठाकुर
Mob. 79735-71454
(शिकायतकर्ता)

संलग्न दस्तावेज़ :

- झूठी आरोपों के आधार पर दर्ज F.I.R. की कॉपी
- जेल वॉरंट

Scanned by CamScanner

(11)

P-2

दिनांक : 03.07.2017

सेवा में,

1. पुलिस महानिदेशक (DGP)
   पंजाब पुलिस हैड क्वार्टर्स,
   सेक्टर 9, चंडीगढ़ – 160009

2. पुलिस कमिश्नर, लुधियाना
   मिनी सेक्रेटेरियेट, फिरोजपुर रोड़,
   लुधियाना - 141001

विषयः पुलिस अधिकारी द्वारा दबंगों के साथ मिलकर झूठी F.I.R. के पीड़ितों को हथकड़ी पहनाकर मौहल्ले में घुमाने के मामले में मानवाधिकार के हनन के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु|

महोदय,

मैं चंद्रकला ठाकुर पत्नि स्व. इंद्रकांत ठाकुर (पताः मकान नं. 14060, गली नं. 2, राम नगर, टिब्बा रोड़, लुधियाना – 141007 Mob. 79735-71454) हूँ|

1. मेरे बेटे मुकेश ठाकुर व पीड़ित लकी उर्फ जयहिंद के खिलाफ पुलिस की मिलीभगत से झूठी F.I.R. नं. 236/2017 दिनांक 23.06.2017 को दर्ज की गई है जिनको 24.06.2017 को मजिस्ट्रेट कोर्ट न. Duty Magistrate में पेश किया गया था जहाँ से 2.00pm बजे के आसपास ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजने का आदेश दिया गया था मगर मजिस्ट्रेट का आदेश होने के बावजूद सीधा जेल में ना पहुँचाकर अमृतपाल सिंह उर्फ विक्की व सुखदेव सिंह के कहने पर पुलिस के अधिकारियों A.S.I. स्वर्ण सिंह व साथी हवलदार ने मेरे बेटे मुकेश व पीड़ित लकी उर्फ जयहिंद को हथकड़ियाँ लगाकर दिनांक 24.06.2017 की शाम को लगभग 4.30pm से 6.30pm बजे के बीच में मौहल्ले में घुमाया जिससे उनके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ व पीड़ा हुई इसलिये पुलिस अधिकारियों A.S.I. स्वर्ण सिंह व साथी हवलदार के खिलाफ मानवाधिकार के हनन के अंतर्गत सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये|

Scanned by CamScanner

(12)

2. इस घटना के कई गवाह हैं मगर अमृतपाल सिंह उर्फ विक्की, सुखदेव सिंह व पुलिस के डर की वजह से कोई सामने आने के लिये तैयार नहीं हो रहा है| इस मौहल्ले में जैन कंपनी (गली नं. 2, राम नगर, टिब्बा रोड़, लुधियाना – 141007) भी मौजूद है जहाँ आने-जाने के रास्ते में CCTV कैमरे लगे हैं जिससे आनेजाने वालों की पहचान हो सकती है जिसमें हरेक वाक्या साफ दिखाई दे सकता है| मेरे द्वारा कंपनी के मालिक से निवेदन भी किया गया था कि वह CCTV फुटेज दे मगर पुलिस के दबाव में उनके द्वारा CCTV फुटेज नहीं दी गई इसलिये दिनांक 24.06.2017 की शाम 4.30pm से 6.30pm बजे तक की CCTV फुटेज जब्त करवाई जाये जिससे पुलिस द्वारा किये गये अपराध के सबूत नष्ट ना हो सकें|

3. ज्ञात हो कि, असल मामले को दबाने के लिये अमृतपाल सिंह उर्फ विक्की व सुखदेव सिंह ने पुलिस के साथ मिलकर झूठी F.I.R. नं. 236/2017 दिनांक 23.06.2017 दर्ज करवाई है|

4. पुलिस के द्वारा हथकडी पहना कर घुमाना सुप्रीम कोर्ट के संविधान का हनन है साथ ही मानवाधिकार का भी हनन है|

5. लकी उर्फ जयहिंद की क्लीनिक से CCTV Camera व प्रिंटर के साथ-साथ अन्य कीमती सामान बिना पंचनामा किये जब्त किये गये जिसको रिकॉर्ड पर भी नहीं लिया गया है|

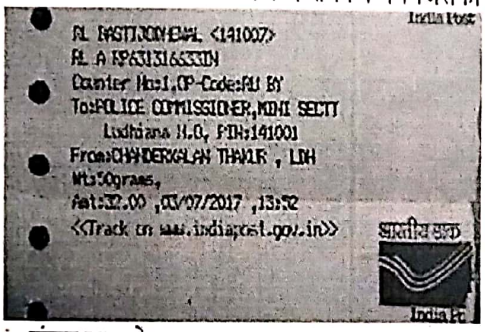

चंद्रकला ठाकुर

चंद्रकला ठाकुर

Mob. 79735-71454

(शिकायतकर्ता)

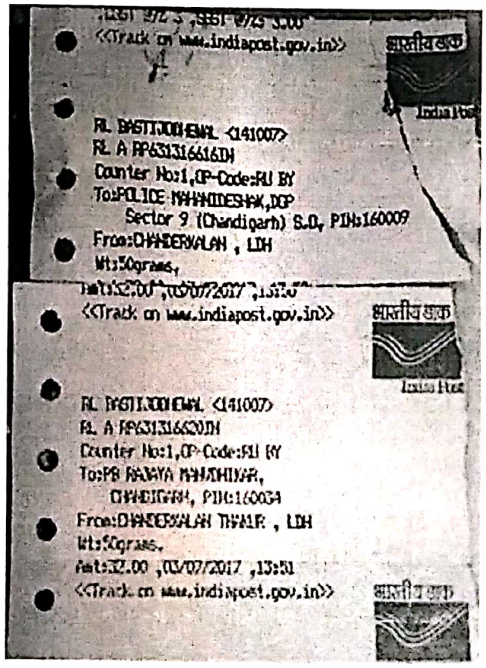

संलग्न दस्तावेज़ :

- झूठी आरोपों के आधार पर दर्ज F.I.R. की कॉपी
- जेल वॉरंट

प्रतिलिपी :

- पुलिस महानिदेशक, पंजाब
- पुलिस कमिश्नर, लुधियाना

Scanned by CamScanner

दिनांक : 05.07.2017 (13)

P-3

सेवा में,

पुलिस कमिश्नर, लुधियाना
मिनी सेक्रेटेरियेट, फिरोजपुर रोड़,
लुधियाना - 141001

विषयः कलम 190/200 फौजदारी प्रक्रिया कोड के तहत फरियाद

फरियादी : मुकेश ठाकुर (लुधियाना जेल से)
निवासीः मकान नंबर 14060, गली नं. 2, राम नगर,
टिब्बा रोड़, लुधियाना, पंजाब - 141007

विरूद्ध

आरोपी नं. 1 : अमृतपाल सिंह उर्फ विक्की
निवासीः मकान नंबर 14047, गली नंबर 2,
मोहल्ला राम नगर, टिब्बा रोड, लुधियाना
मोब. 99888 - 50660

आरोपी नं. 2 : सुखदेव सिंह
निवासीः मकान नंबर 14047, गली नंबर 2;
मोहल्ला राम नगर, टिब्बा रोड; लुधियाना
मोब. 98888 - 99908

आरोपी नं. 3 : नवनीत कौर पुत्री जोगिंदर सिंह
(आरोपी अमृतपाल सिंह उर्फ विक्की और सुखदेव सिंह की बहन)
निवासीः मकान नंबर 14047, गली नंबर 2,
मोहल्ला राम नगर, टिब्बा रोड, लुधियाना
मोब. 99146 34353

आरोपी नं. 4 : स्वर्ण सिंह A.S.I. (P.S. बस्ती जोधेवाल, लुधियाना)

आरोपी नं. 5 : इंस्पैक्टर गुरविंदर सिंह SHO (P.S. बस्ती जोधेवाल, लुधियाना)
मोब. 7837018615

Attested Copy of Photostat Copy
31/1/19
Examiner/PSHRC

Scanned by CamScanner

आरोपी नं. 6 : सचिन गुप्ता ACP/North, लुधियाना

आरोपी नं. 7 : ~~दीपक शर्मा~~ Harjinder Singh SHO (P.S. डिवीज़न नं. 1, लुधियाना)
मोब. 7837018601

14

मैं मुकेश ठाकुर पुत्र इंद्रकांत ठाकुर (पताः 14060, गली नं. 2, राम नगर, टिब्बा रोड़, लुधियाना, पंजाब - 141007) हूँ। मैं और पीड़ित लकी उर्फ जयहिंद (पताः मकान नं. 14119 गली नं. 2, टिब्बा रोड़, लुधियाना के ऊपर झूठी F.I.R. 236/2017 दिनांक 23.06.2017 के तहत IPC u/s 384, 420, 511, 500, 120(बी), 34 के तहत दर्ज की गई है, पूरा मामला निम्नानुसार है:

1. फरयादी के पास पीड़ित शिकायत लेकर आया कि, पीड़ित लकी उर्फ जयहिंद ने दिनांक 20.04.2017 को जब देखा कि उसके खाते से 11861 रुपए गैर - कानूनी तरीके से निकाल लिए गए तो पीड़ित लकी उर्फ जयहिंद द्वारा इस गैर - कानूनी तरीके से निकाले गये रुपये की शिकायत दि. 3/5/2017 को ए.सी.पी. ऑफिस में दी गई जिसका शिकायत नं. 1088928 (559 - 5c) है मगर कोई कार्यवाही नहीं हुई फिर NGO के सहयोग से Paytm के ऑफिस (नोएडा) में जाकर गैर - कानूनी तरीके से निकाली गई रकम के ट्रांजेक्शन के बारे में जानकारी मांगी गई जिसके मिलने के बाद पीड़ित उसे लेकर वापस पुलिस थाने बस्ती जोधेवाल गया और नई शिकायत दी मगर पुरानी शिकायत दी जाने व वजह से नई शिकायत नहीं ली गई जिसके बाद पुलिस कमिश्नर लुधियाना को नई शिकायत पीड़ीत लकी उर्फ जयहिंद द्वारा दि. 22/05/2017 को दी गई जिसका नं. 114070 है।

2. जब देखा की शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है तो बैंक जाकर जिस बैंक खाते नंबर में पैसा गैरकानूनी तरीके से लिया गया था उसके नाम व पते की जानकारी बैंक मैनेजर से मांगी गई, काफी समझाने के बाद जाकर मैनेजर ने खाताधारक का नाम व पता बताया जिससे पता चला कि यह अमृतपाल सिंह उर्फ विकी है। जब अमृतपाल सिंह उर्फ विक्की (मोब. 99888 - 50660 पताः मकान नः 14047, गली नं. 2, राम नगर, टिब्बा रोड़, लुधियाना) से इस मामले में पूछा गया तो वह साफ मुकरने लगा पर जब सारे सबूत दिखाएं तो वह यह देख कर समझ गया कि, 'मैं फंस गया हूँ' तो उसने अपने इंस्पेक्टर भाई सुखदेव सिंह (जो पंजाब सरकार के अधीन फूड एंड सप्लाई विभाग, बटाला (गुरदासपुर) में बतौर इंस्पेक्टर तैनात है) को बुलाकर धमकियां देने की कोशिश की मगर संगठन का उसूल है कि, 'अपराध खत्म करना है ना कि अपराधी को' अगर कोई अपराधी गलती से या नासमझी और बहकावे में गुमराह होते हुये कोई जुर्म कर बैठता है तो परिस्थिती को

Attested Copy of Photostat Copy
21/19
Examiner/PSHRC

Scanned by CamScanner

समझते हुए उससे स्टैम्प पेपर पर माफीनामा लिखवाते हुए मूल नुकसान की भरपाई होने वाले खर्च के साथ जोड़ कर ले ली जाए जिससे आरोपी अपराध करने के बारे में दुबारा ना सोचे जिसकी स्टैम्प पेपर पर पूरी लिखा - पढ़ी की जाती है| जैसा कि संगठन द्वारा अन्य मामलों में किया जाता है (उदाहरण के रूप में दो माफीनामा दिया जा रहा है)|

3. मगर यहाँ पर अपराधी, वनाम अमृतपाल सिंह उर्फ विक्की और उसका भाई सुखदेव सिंह अपराध करने के बाद भी पीड़ित को धमकियां दे रहा था और गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रहा था जब संगठन द्वारा राजीनामा के समय पैसों की अपेक्षा आरोपी के बैंक स्टेटमेंट के बारे में ही बात की गई, ताकि अपराधी ने ऐसा छल - कपट करके कितने लोगों को लूटा उसका पता चल सके लेकिन बैंक स्टेटमेंट नही दिया गया (जिससे अगर किसी और के साथ धोखाधड़ी की गई हो तो यह मामला सीधे पुलिस स्टेशन में दिया जाए अन्यथा पहला अपराध समझ कर माफ करते हुये पीड़ित के हुये खर्च को मिलाकर पीड़ित के साथ की गई धोखाधड़ी की रकम दी जाए) मगर बैंक स्टेटमेंट का नाम लेते ही पीड़ित के भाई द्वारा धमकियां दी जाने लगी और कहा गया कि, "मैं कमिश्नर के साथ बैठकर दारु पीता हूं और मेरा कोई कुछ नहीं विगाड़ सकता, अतः मैं यह 40,000 देता हूं और जल्द ही बैंक स्टेटमेंट भी दे दूंगा" कह कर उसने रु. 20,000/ - तुरंत दिए और बाद में ध्यान रखने के लिये उसके द्वारा सादे कागज पर पंजाबी में लिखकर लिया गया और यह कहकर चले गए कि, बैंक स्टेटमेंट लेकर आते हैं क्योंकि संगठन द्वारा स्टैम्प पेपर पर ही आरोपी का राजीनामा/माफीनामा लिखवा कर लिया जाता है इसलिये कागज पर केवल रकम प्राप्ति से संबंधित ही लिखा गया था जिससे बाद में पूर्ण विवरण के साथ स्टैम्प पेपर पर लिखा जा सके|

4. जब देखा कि, आरोपी <u>अमृतपाल सिंह उर्फ विक्की और उसका भाई सुखदेव सिंह बैंक स्टेटमेंट लेकर नहीं आये</u> तो यह सिद्ध हो गया कि, आरोपी अपने वादे से मुकर गये हैं जिसकी वजह से संगठन वह राजीनामा जो स्टैम्प पेपर पर बनावाया जाना था वह नहीं बनवा पाया 'ज्ञात रहे कि संगठन अपने पास आये किसी भी मामले को बंद करने से पहले दोषी से माफीनामा लिखवा कर अवश्य लेता है'| आरोपियों द्वारा बैंक स्टेटमैंट नहीं देना यह प्रमाणित करता था कि, आरोपियों द्वारा कई लोगों के साथ छल - कपट करके धोखाधड़ी की गई है और बैंक स्टेटमेंट से आरोपी के अन्य अपराध भी उजागर हो जाते| अतः हमारे लिए अपराधी द्वारा भविष्य में किये जाने वाले अन्य अपराधों को रोकने के लिए इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को देना जरुरी हो गया था जिससे पुलिस आवश्यक कार्यवाही करे और अपराधी को सजा दे सके साथ ही यह वजह भी हमें पुलिस को जानकारी देने के लिये मजबूर कर रही थी क्योंकि अपराधी के भाई द्वारा धमकियां देते हुए यह कहा गया था कि,

Attested Copy of Photostat Copy
31/1/19
Examiner/PSHRC

Scanned by CamScanner

(16)

"मैं कमिश्नर के साथ बैठकर दारू पीता हूं मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैंने अभी मकान खरीदा है जो मूल कीमत से भी 50 हजार अधिक देकर खरीदा है" इस प्रकार की धमकियाँ अपराधी अमृतपाल सिंह उर्फ बिक्की व उसके भाई सुखदेव सिंह की मानसिकता को पूरी तरह आपराधिक दिखा रही थी, अमृतपाल उर्फ बिक्की सबूतों के बिनाह पर अपराधी साबित हो ही रहा था साथ ही उसके भाई सुखदेव सिंह द्वारा हमें दी गई धमकियाँ साफ - साफ उसकी आपराधिक मानसिकता व भ्रष्टाचार को दर्शा रही थीं, इस तरह पुलिस के साथ मिलकर षडयंत्र रचा गया|

5. अपराधियों ने Paytm से गैर - कानूनी तरीके से कई लोगों की रकम निकाली हो सकती है अतः इसकी जांच करवाना अति आवश्यक है| हमारी शिकायत पहले ही सबूतों के साथ दिए जाने के बावजूद FIR दर्ज न करना पुलिस स्टेशन के भ्रष्टाचार को साफ - साफ दर्शा रहा है अतः मेरी शिकायत ली जाए और उसपर उचित धाराओं के साथ FIR दर्ज करके कार्यवाही की जाये|

6. आरोपियों द्वारा यह धमकी भी दी गई थी कि, 'वे लड़की के द्वारा हमें फसाँयेंगे' जिसको आरोपियों ने अपनी बहन का इस्तेमाल करके व झूठा आरोप लगाकर साबित भी कर दिया| यह मामला डिवीजन नं. 1 (कोतवाली थाने) में दिनांक 21.06.2017 को दर्ज हुआ जो केवल शिकायत व मैडिकल रिपोर्ट के आधार पर बना दिया गया जबकि घटनास्थल थाने से 5 मिनट की दूरी पर ही है मगर जाँच अधिकारी ने घटना स्थल पर पहुंच कर आवश्यक प्राथमिक जानकारी लिए बिना ही हम लोगों को रात भर हवालात में रखा जिसके बाद हमें दूसरे दिन जमानत लेनी पड़ी| इस तरह Whistle Blower Act का भी उल्लंघन किया और झूठे केस में फँसाया गया|

7. डिवीजन नं. 1 (कोतवाली थाने) में हम पर दर्ज झूठे मामले में नवनीत कौर पुत्री जोगिंदर सिंह (आरोपी अमृतपाल सिंह उर्फ बिक्की और सुखदेव सिंह की बहन, निवासी: मकान नंबर 14047, गली नंबर 2, मोहल्ला राम नगर, टिब्बा रोड, लुधियाना), दर्ज शिकायत पर एक जाँच अधिकारी हल्की सी भी नजर डालेगा तो वह केवल मैडिको लीगल रिपोर्ट और बयान को पढ कर ही इस शिकायत को झूठा करार दे देगा क्योंकि दोनों एक - दूसरे के विपरीत हैं मैडीको लीगल रिपोरट में साफ - साफ लिखा है कि खून नहीं निकला जबकि शिकायत में दर्ज किया गया है कि, तेज़ धारदार हथियार से मारा गया व खून निकला| मैडिको लीगल रिपोर्ट में शरीर पर दो जगह हमला हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है,

   a. सामने से दाहिने तरफ के कान पर हमला, ऐसा नजर आ रहा है
   b. पीछे से बायें कंधे पर हमला किया गया, ऐसा नजर आ रहा है

Attested Copy of Photostat Copy
5/11/19
Examiner/PSHRC

Scanned by CamScanner

c. जबकि शिकायतकर्ता के बयान में केवल पीछे से एक ही वार हमला किया गया दर्ज है|

8. यह मामला भी पूरी तरीके से फर्जी है क्योंकि उस वक्त मैं अपने ऑफिस में 9:30am से मौजूद था जिसकी गवाही मेरी कंपनी के मालिक ने भी पुलिस थाने में दी भी मगर जाँच अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की आवश्यक प्राथमिक जांच किए बिना मामला दर्ज करते हुये हमें हवालात में बंद किया गया जबकि लक्की उर्फ जयहिंद उस वक्त (लगभग 11.00 बजे से 1.00 बजे तक) Nauhria's Multispeciality Hospital (पताः HIG - 452, जमालपुर कॉलोनी, लुधियाना मोब. 98140 - 22165, 98140 - 22798), में मेरी मम्मी चंद्रकला ठाकुर की इलाज के लिये मेरी मम्मी व बहन नीलम झा के साथ मौजूद था जिसकी पुष्टि करने के लिये जमालपुरा अस्पताल से दिनांक 21.06.2017 को 11.00 बजे से 1.00 बजे के बीच की CCTV फुटेज देखकर की जा सकती है| ज्ञात हो कि, यह मामला डॉ. निनी जोहर मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गए निर्देशों का भी उल्लंघन है|

नोटः a. तुरंत ही Nauhria's Multispeciality Hospital से दिनांक 21.06.2017 को 11.00am बजे से 1.00am बजे तक के CCTV फुटेज सील करवाने की व्यवस्था करवाई जाये जिससे पीड़ित को निर्दोष साबित करनेवाला महत्वपूर्ण सबूत नष्ट ना हो सके|

b. घटना वाले दिन दिनांक 21.06.2017 को 11.00 बजे से 1.00am बजे तक का 'रेकी सिनेमा व बैंक ऑफ इंडिया (ज़ोनल ब्रांच) से लेकर पुरानी कचहरी की ओर जाने वाले ब्रिज' पर चढ़ते समय वाली जगह पर लगे दोनों सरकारी कैमरों की CCTV फुटेज ली जाये साथ ही ब्रिज खत्म होते समय के भी सभी सरकारी कैमरों की CCTV फुटेज सील करवा ली जाये|

9. यह पूरा मामला भ्रष्टाचार व धोखाधड़ी से संबंधित है जो प्रधानमंत्री मोदी के कैशलेस स्कीम पर भी कुठाराघात कर रहा है क्योंकि यह सभी अपराध एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अतः मैं चाहता हूँ कि एक विशेष पुलिस जाँच टीम का गठन करते हुये इस पूरे मामले की जाँच की जाये जिससे दोषी पुलिस कर्मचारियों व अपराधियों को सजा मिला सके| इस मामले में अपराधी अमृतपाल सिंह उर्फ विक्की के बैंक स्टेटमैंट के आधार पर अन्य अपराधों की जाँच तो की ही जाये साथ ही आरोपी के धमकी देने वाले इंस्पैक्टर भाई सुखदेव सिंह का फॉरैन्सिक ऑडिट करवाते हुये उसके सभी बैंक खातों के साथ-साथ खरीदी गई संपत्तियों की भी जाँच करवाई

Attested Copy of Photostat Copy
31/1/19
Examiner/PSHRC

Scanned by CamScanner

जायें जिससे अगर धमकी देने वाला इन्सपेक्टर भाई सुखदेव सिंह भ्रष्टाचारी व गलत साबित हो तो उसको सजा दी जा सके।

10. फरयादी को झूठे केस में फंसाने के लिये पुलिस के साथ मिलकर झूठा केस किया गया परिणामस्वरूप निम्नलिखित तौर से परेशान किया गया:

a. मैजिस्ट्रेट ने भी पुलिस से कोई शिकायत है की नहीं, ये भी नहीं पूछा।

b. ज्युडिशियल कस्टडी के आदेश के बाद फूड इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह के कहने से पुलिस ने फरयादी व पीड़ित को गैरकानूनी तरीके से हथकड़ी लगाकर मोहल्ले में बदनामी करने हेतु व सुखदेव सिंह की दहशत कायम करने हेतु घुमाया।

c. पीड़ित के कार्यालय से CCTV कैमरा व उससे संबंधित पार्ट्स (जैसे DVR व Hard Disk आदि) व प्रिंटर भी ले गये और कोई पंचनामा भी नहीं किया।

d. जमानत अर्जी गैर - कानूनी तौर पर रद्द की परिणामस्वरूप फरयादी व पीड़ित बेगुनाह होकर भी जेल में है।

e. डी.के. बासु केस की गाईड लाईन्स का भी पालन नहीं किया गया

इन सभी तरीके से गैरकानूनी षडयंत्र किया गया

जरूरत पड़ने पर व सच्चाई उजागर करने के लिये हमारा नार्को टैस्ट लिया जा सकता है जिसका खर्चा भी हम लोग मकान बेचकर या 'जैसे भी होगा' करेंगे मगर आरोपियों के अपराध सिद्ध होने पर नार्को टैस्ट में हुआ खर्चा हमें वापस दिलवाना होगा।

पुलिस ने गुटबाजी करते हुये योजनाबद्ध तरीके से झूठा केस बनाया और गैर - कानूनी तरीके से डी.के. बासु की गाईडलाईन के विपरीत काम किया इसलिये उनके विरूद्ध भी जाँच की जाये।

हमारे संगठन द्वारा अन्य मामलों में किए गए राजीनामा के उदाहरण भी साथ में संलग्न है।

Mukesh Thakur

मुकेश ठाकुर

(लुधियाना जेल से)

संलग्न दस्तावेज़ :

1.	पीड़ित द्वारा दि. 3/5/2017 को ए.सी.पी. ऑफिस में दी गई शिकायत नं. 1088928 (559 - 5c)	1 - 1

Attested Copy of Photostat Copy
3/1/19
Examiner/PSHRC

Scanned by CamScanner

2.	पीड़ित द्वारा दि. 22/05/2017 को पुलिस कमिश्नर, लुधियाना को दी गई शिकायत नं. 114070	2 - 2
3.	संगठन 'भ्रष्टाचार विरूद्ध जागृति अभियान' द्वारा पीड़ित के मामले में भेजे गये शिकायत - पत्र	3 - 8
4.	पीड़ित का शपथ - पत्र	9 - 12
5.	पीड़ित द्वारा 'Paytm' के नोयडा ऑफिस से ली गई जानकारी का दस्तावेज़	13 - 13
6.	पीड़ित द्वारा 'बैंक ऑफ बड़ौदा' ऑफिस से ली गई जानकारी का दस्तावेज़	14 - 14
7.	पीड़ित के 'Paytm' खाते से आरोपी द्वारा रकम लूट लिये जाने का 'Snapshot	15 - 16
8.	पीड़ित द्वारा पासपोर्ट आवेदन की कॉपी	17 - 19
9.	संगठन 'भ्रष्टाचार विरूद्ध जागृति अभियान' द्वारा पीड़ित के मामले में भेजे गये शिकायत - पत्र की रसीदें	20 - 20
10.	सायबर क्राईम को ईमेल से भेजी गई शिकायत की 'Snapshot'	21 - 21
11.	आरोपियों के द्वारा स्टैम्प पेपर पर बनाये जाने वाले राजीनामा से पहले दी गई रकम की पंजाबी में बनाई गई कच्ची लिखा - पढ़ी	22 - 22
12.	संगठन द्वारा अन्य मामलों में बनाया गया माफीनामा	23 - 29
13.	आरोपियों (अमृतपाल सिंह और सुखदेव सिंह) की बहन नवनीन कौर द्वारा पीड़ित पर झूठा आरोप लगाकर डिविजन नं. 1 में दर्ज की गई F.I.R. की कॉपी व मैडिको लीगल रिपोर्ट	30 - 42
14.	आरोपियों (अमृतपाल सिंह और सुखदेव सिंह) की तरफ से बस्ती जोधेवाल में झूठा आरोप लगाकर दर्ज की गई F.I.R. की कॉपी	43 - 51
15.	आरोपियों के खिलाफ उठाये गये मामले पर आरोपियों के बिगड़ैल व आवारा दोस्तों द्वारा अभद्र भाषा में फेसबुक पोस्ट पर की गई टिप्पणी का 'Snapshot'	52 - 53

प्रतिलिपि :

1. माननीय राष्ट्रपति महोदय
2. माननीय उच्चतम न्यायालय
3. माननीय प्रधानमंत्री महोदय
4. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
5. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMIC)
6. भारत का विधी आयोग
7. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय
8. लोकायुक्त, पंजाब
9. पुलिस महानिदेशक (DGP)
10. पुलिस कमिश्नर, लुधियाना
11. केन्द्र सर्तकता आयोग (CVC)
12. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

Attested Copy of Photostat Copy
3/11/19
Examiner/PSHRC

Scanned by CamScanner

20 P-4

To

Chanderkla Thakur
W/o Sh. Chanderkant Thakur,
14060, Gali No. 2, Ram Nagar,
Tibba Road, Ludhiana City.
Punjab

Subject: - Regarding information required under RTI Act 2005 u/s 6(3) for complaints registered with 181-PPH on Dated 19.08.2017.

Respected Maam,

With reference to your letter regarding the information required under RTI Act 2005 u/s 6(3). It is submitted that on dated. 19th August, 2017, 114 complaints registered on 181 Punjab Police Helpline during (06:00 am to 11:30 pm) with various categories. All the complaints registered on 181 PPH was dispatched/forwarded on the same day to the concerned police stations and also escalated to higher police authorities including respected ADGP Law & Order and SSP's for the respective districts.

NOTE- Sheet attached for your reference.

Thanks & Regards

181-Punjab Police Helpline
Phase -7 Mohali

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

(21)

181 Complaints Data for 19th Aug.2017 (6:00 am to 11:30 pm)		
Sr No	District v/s Category	Count
1	Amritsar (Rural)	4
1	Accident	9872862080
2	Family dispute	9592540959
3	Grievous Hurt	8196069549
4	Money Dispute	9779934609
2	Amritsar City	10
1	Attack	8567970779
2	Demolished	7347448007
3	Domestic Violence	9780164626
4	Domestic Violence	9780196754
5	False implication in case	8054601042
6	False Implication in case	9803352905
7	False Implication in case	9803836400
8	Misbehaviour	8557915371
9	Snatching	9855440406
10	Threat	9872023644
3	Batala	3
1	Matrimonial dispute	9041983782
2	Mobile related harassment	9915818276
3	Threat	9876546702
4	Bathinda	2
1	Harassment for Dowry	9914131083
2	Threat	9996545712
5	Faridkot	2
1	Hurt	9417868178
2	Hurt	9501324152
6	Fazilka	12
1	Abetment to suicide	9646359665
2	Abuse & bad language	9888154934
3	Citizen's arrest	9855606262
4	Cruelty by Children	9781606139
5	Delay in Arrest	9464506168
6	Domestic Violence	9876054334
7	Domestic Violence	9988357932
8	Grievous Hurt	7837297622
9	Mentally Harassment	8699229975
10	Money Dispute	7889046699
11	Neighborly dispute	9646503100
12	Rape/Rape Attempt	9878682966
7	Ferozepur	6
1	Attack	9914616302
2	Domestic Violence	9914343937
3	Grievous Hurt	9814558533
4	Hurt	8725965885
5	Prostitution	0

Scanned by CamScanner

6	Theft	9781168490
8	Gurdaspur	1
1	Hurt	9023077163
9	Jalandhar City	8
1	Attack	7347307702
2	Duped by Travel Agent(s)	9041438213
3	Fraud	7087597517
4	Grievous Hurt	7087779121
5	Grievous Hurt	9646038807
6	Hurt	9815234054
7	Illegal Possession	9815421587
8	Mentally Harassment	9878830453
10	Kapurthala	1
1	Hurt	8146504029
11	Ludhiana (Rural)	5
1	Abuse & bad language	8728809447
2	Cruelty by Children	8569026994
3	Family dispute	9872832841
4	Prostitution.	0
5	Threat	9815094107
12	Ludhiana City	13
1	Accident	9814920675
2	Citizen's arrest	9914682907
3	Cruelty by Children	8567888128
4	Cruelty by Children	9815803374
5	Domestic Violence	8146230572
6	False Implication in case	9803167299
7	Family dispute	7355042664
8	Fraud	8427279519
9	Landlord- Tenant dispute	8872073549
10	Matrimonial dispute	9569675077
11	Money Dispute	9872925439
12	Theft	9914154777
13	Threat	9877139031
13	Moga	1
1	Domestic Violence	8427660529
14	Pathankot	1
1	Abuse & bad language	9115646470
15	Patiala	4
1	Abuse & bad language	7696444191
2	Cruelty by Children	7696418872
3	False Implication in case	9517951153
4	Police Inaction	9501331003
16	Sangrur	3
1	Domestic Violence	9041131650
2	Domestic Violence	9814074776
3	Threat	9855926917
17	SAS Nagar	7

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

1	Abetment to suicide	7087951031
2	Accident	9316503800
3	Landlord- Tenant dispute	9023442222
4	Misbehaviour	9915011701
5	Obscene Calls/SMS	7009307099
6	Theft	8556907481
7	Threat	9056379387
18	SBS Nagar	1
1	Matrimonial dispute	9878125255
19	Sri Muktsar Sahib	14
1	Abuse & bad language	7508340818
2	Abuse & bad language	7837265753
3	Cruelty by Children	7696179868
4	Abuse & bad language	8557993913
5	Domestic Violence	8557953449
6	False Implication in case	9914906032
7	Family dispute	9877559289
8	Fraud	9780644382
9	Grievous Hurt	9646601984
10	Matrimonial dispute	9888838076
11	Mentally Harassment	9855979281
12	Molestation	8146086506
13	Snatching	9814426731
14	Threat	8146863613
20	Taran Taran	16
1	Abuse & bad language	8427549181
2	APO	9592143771
3	Cruelty by Children	9876906952
4	Duped by Travel Agent(s)	8437168190
5	Eloped	9855674562
6	Family dispute	8437151628
7	Family dispute	9815371892
8	Grievous Hurt	9590700005
9	Grievous Hurt	9872743702
10	Harassment for Dowry	8950039706
11	Hurt	9781276212
12	Hurt	9855328419
13	Snatching	8872876838
14	Theft	8264771577
15	Threat	8968437180
16	Threat	9814593777
Grand Total		114

Scanned by CamScanner

(24)

... द्वारा Whistle Blower व पीड़ितों की हत्‍ Date: 25/08/17 08:35 PM

... F.I.R. NO 343/2017 से संबंधित जरूरी तकनीकि सबूत सील क From: sonika sharma <son...@yahoo.com>

"pshrc.chd@gmail.com" <pshrc.chd@gmail.com>,
"cpludhiana@gmail.com" <cpludhiana@gmail.com>,
"djldh-chd@nic.in" <djldh-chd@nic.in>,
"reggen@indianjudiciary.gov.in" <reggen@indianjudiciary.gov.in>
"reg.vig-phc@indianjudiciary.gov.in" <reg.vig-phc@indianjudiciary
"adcphqrsldh@gmail.com" <adcphqrsldh@gmail.com>,
"cs@punjab.gov.in" <cs@punjab.gov.in>,
"admr-Chandigarh@nic.in" <admr-chandigarh@nic.in>,
"dc-chandigarh@nic.in" <dc-chandigarh@nic.in>,
"chdsdmsouth@gov.in" <chdsdmsouth@gov.in>,
"dgp.complaint.police@punjab.gov.in" <dgp.complaint.police@pu

2116/B 30/8

DISTRICT AND SESSIONS JUDGE LUDHIANA Receipt No. 12008 Date 28/8/17

P-5

20170823 DGP.pdf (698kB)

दिनांक : 25.08.2017

सेवा में,

1. **DGP/Punjab**
2. **Governor of Punjab**
3. **IG/Director - Bureau of Investigation, PB**
4. **Director CBI**
5. **Punjab State Human Rights Commission**
6. **DIG/SSP LUDHIANA**

विषय: लुधियाना की हत्यारी पुलिस के साथ मिलकर भ्रष्ट **ACP/North** सचिन गुप्ता द्वारा **Whistle Blower** व पीड़ितों की हत्या के खेल को रोकने व **F.I.R. NO 343/2017** दिनांक **19.08.2017** से संबंधित जरूरी तकनीकि सबूत सील करने हेतु|

महोदय,

पीड़ित लकी गुप्ता उर्फ जयहिंद की तरफ से 4 माह पहले Paytm के द्वारा चोरी किये जाने की शिकायत की गई मगर चोरी करनेवाला अपराधी एक बेहतरीन VVIP फूड इंस्पैक्टर का भाई निकला जो पीडित को डराने के लिये कहता है कि, "मैं पुलिस कमिश्नर के साथ बैठकर दारू पीता हूँ", जिसकी सच्चाई इस अपराधी परिवार द्वारा की गई F.I.R. से नजर आ रहा है| इस भ्रष्ट फूड इंस्पैक्टर ने धमकी दी थी कि, "मैं तुम पर कई झूठी F.I.R. दर्ज करवा दूँगा" जो लुधियाना पुलिस व ACP/North सचिन गुप्ता की मिलीभगत से की गई झूठी F.I.R. के रूप में साबित हो रही है और 3-3 F.I.R. (F.I.R./D.D.R. No. 23/17 दिनांक 22.06.2017; F.I.R. नं. 236/2017 दिनांक 23.06.2017; F.I.R. NO 343/2017 दिनांक 19.08.2017) आरोपी के लगभग सभी घरवालों की तरफ से दर्ज करवा दी गई है जिसमें पहली F.I.R./D.D.R. No. 23/17 दिनांक 22.06.2017 को आरोपी की बहन की तरफ से हुई, दूसरी F.I.R. नं. 236/2017 दिनांक 23.06.2017 को आरोपी के भाई भ्रष्ट फूड इंस्पैक्टर सुखदेव सिंह की तरफ से हुई और तीसरी F.I.R. NO 343/2017 दिनांक 19.08.2017 को आरोपी के पिता जोगिंदर सिंह की तरफ से दर्ज हुई|

Scanned by CamScanner

25

[illegible] करने के लिये सबूत हमेशा उपलब्ध रहते है बस जरूरी है उन्हे इंसाफ व न्याय [illegible] करना जिससे आम जन का संविधान पर विशास बना रहे| हम यह भी जानते हैं कि, [illegible] या सहारा लेकर किसी भी आरोपी या अपराधी को बिना डंडे के आसानी से अपराधी सिद्ध [illegible] जा सकती है|

[illegible] भी भरपूर तकनीकी सबूतों को तुरंत सील करने की प्रार्थना दिये जाने के बावजूद डिविजन नं. [illegible] पुलिस थाना के सभी भ्रष्ट पुलिसकर्मियों (थाना-प्रभारी (SHO), जाँच अधिकारी (IO)) ने भ्रष्ट [illegible] North सचिन गुप्ता के साथ मिलकर सारे सबूतों को नष्ट करने का कार्य किया| इस पूरे घटनाक्रम मे लुधियाना पुलिस कमिश्नर की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है क्योंकि कई शिकायतें किये जाने Paytm से संबंधित धोखाधड़ी की शिकायत पर तो आजतक कोई कार्यवाही नहीं हुई बल्कि Whistle Blower व पीड़ित पर ही F.I.R. पर F.I.R. दर्ज करते चले जा रहे हैं जो एक नजर में ही साफ-साफ झूठी नजर आ रही है| अब इस तीसरी F.I.R. से संबंधित मामले में Whistle Blower की माँ की तरफ से तकनीकि सबूत सील व इकट्ठा करने की आपको प्रार्थना की जा रही है अगर अभी भी यह तकनीकी सबूत सील व इकट्ठा करने की अपेक्षा उन्हें नष्ट करने का कार्य किया गया तो साफ नजर आ जायेगा कि पूरी की पूरी पंजाब पुलिस संविधान को ठोकर पर रख रही है और सुप्रीम कोर्ट के कानून को कुछ नहीं समझती| इसके बाद पूरे देश में यह मुहिम तब तक चलाई जायेगी जब तक पीड़ित को इंसाफ नहीं मिल जाता|

इसके लिये संगठन चाहता है कि, 'विशेष जाँच टीम (SIT)' का गठन करके व पुलिस कमिश्नर लुधियाना के हस्तक्षेप को दरकिनार करते हुये इस पूरे मामले की जाँच की जाये और आवश्यक सभी तकनीकी सबूत इकट्ठा करते हुये दोषियों को सजा दी जाये|

13246/G, 30/8/17

सोनिका क्रांतिवीर

मोब. 99209-13897

भ्रष्टाचार विरूद्ध जागृति अभियान

www.bvbja.com

Secy. Be sent to Commissioner of Police, Ludhiana for information and necessary action.

29/08/2017

संलग्न दस्तावेज :

- *Whistle Blower की माँ द्वारा पुलिस महानिदेशक (D.G.P.), राज्यपाल (पंजाब), IG/Director - ब्यूरो ऑफ इंवेस्टीगेशन (पंजाब), Director CBI (दिल्ली), पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग, DIG/SSP (लुधियाना) को भेजा गया शिकायत-पत्र साथ में संलग्न है और साथ ही पहले भेजी गई शिकायतें व आवश्यक दस्तावेज़ नीचे दी गई अनुक्रमणिका में लिंक पर मौजूद है|*

मामले से संबंधित वीडियो :

- *आज के भगत सिंह मुकेश ठाकुर के साथ (मुंबई यात्रा के दौरान) हुये पूरे घटनाक्रम का साक्षात्कार: https://youtu.be/ljcwZ3e31IM*

संलग्न दस्तावेज :

Scanned by CamScanner

26

[illegible]	[illegible] **द्वारा कलम** 190/200 फौजदारी प्रक्रिया कोड के तहत की गई फरियाद व [illegible]www.bvbja.com/file/pdf/20170726_09.pdf
[illegible]	[illegible]2017 **को** पुलिस अधिकारी द्वारा दबंगों के साथ मिलकर झूठी F.I.R. के पीडितों [illegible] **पकड़कर** मौहल्ले में घुमाने के मामले में मानवाधिकार के हनन के अंतर्गत कार्यवाही [illegible] **हेतु दिया** गया शिकायत-पत्र व रसीदें - http://www.bvbja.com/file/pdf 20170726_10.pdf
3.	'[illegible] सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिस' संगठन की तरफ से लुधियाना पुलिस कमिश्नर और [illegible]-प्रभारी को पीडित के खिलाफ की गई झूठी शिकायत (D.D.R. No. 23 दि. 22.06.2017) में तकनीकी सबूतों की जब्ती के संबंध में भेजी गई शिकायत व रसीदें - http://www.bvbja.com/file/pdf/20170726_11.pdf
4.	पीडित द्वारा दि. 3/5/2017 को ए.सी.पी. ऑफिस में दी गई शिकायत नं. 1088928 (559 - 5c) (इस शिकायत की कॉपी ASI स्वर्ण सिंह द्वारा अन्य दस्तावेज़ों के साथ ही पीड़ित के ऑफिस से चोरी की गई) की कॉपी - http://www.bvbja.com/file/pdf/20170726_12.pdf
5.	पीडित द्वारा दि. 22/05/2017 को पुलिस कमिश्नर, लुधियाना को दी गई शिकायत नं. 1104070 की कॉपी - http://www.bvbja.com/file/pdf/20170726_13.pdf
6.	संगठन 'भ्रष्टाचार विरूद्ध जागृति अभियान' द्वारा whistle बजाते हुये (जिससे पीडित के मामले को संज्ञान में लिया जाये) Paytm से संबंधित धोखाधड़ी के मामले में भेजे गये शिकायत-पत्र व रसीद (इस शिकायत की असल रसीदें ASI स्वर्ण सिंह द्वारा अन्य दस्तावेज़ों के साथ ही पीड़ित के ऑफिस से चोरी की गई) - http://www.bvbja.com/file/pdf/20170726_14.pdf
7.	पीड़ित द्वारा 'Paytm' के नोयडा ऑफिस से ली गई जानकारी का दस्तावेज़ - http://www.bvbja.com/file/pdf/20170726_15.pdf
8.	पीड़ित द्वारा 'बैंक ऑफ बड़ौदा' ऑफिस से ली गई जानकारी का दस्तावेज़ - http://www.bvbja.com/file/pdf/20170726_16.pdf
9.	पीड़ित के 'Paytm' खाते से आरोपी द्वारा रकम लूट लिये जाने का मोबाईल पर आये संदेश के 'Snapshot' की कॉपी - http://www.bvbja.com/file/pdf/20170726_17.pdf
10.	दि. 19.06.2017 को सायबर क्राईम को ईमेल से भेजी गई शिकायत की 'Snapshot' - http://www.bvbja.com/file/pdf/20170726_18.pdf
11.	आरोपियों के द्वारा स्टैम्प पेपर पर बनाये जाने वाले माफीनामा से पहले पंजाबी में रकम मिलने की बनाई गई कच्ची लिखा – पढ़ी - http://www.bvbja.com/file/pdf/20170726_19.pdf
12.	दि. 22.06.2017 को आरोपियों (अमृतपाल सिंह और सुखदेव सिंह) की बहन [redacted] कौर द्वारा पीड़ित पर झूठा आरोप लगाकर डिविजन नं. 1 (कोतवाली) में दर्ज की गई F.I.R. की कॉपी व मैडिको लीगल रिपोर्ट - http://www.bvbja.com/file/pdf/20170726_20.pdf
13.	दि. 23.06.2017 को आरोपियों (अमृतपाल सिंह और सुखदेव सिंह) की तरफ से बस्ती जोधेवाल में झूठा आरोप लगाकर दर्ज की गई F.I.R. No. 236/2017 की कॉपी - http://www.bvbja.com/file/pdf/20170726_21.pdf
14.	दि. 19.06.2017 को आरोपियों के खिलाफ उठाये गये मामले पर आरोपियों के बिगडैल व आवारा दोस्तों द्वारा अभद्र भाषा में फेसबुक पोस्ट पर की गई टिप्पणी का 'Snapshot' - http://www.bvbja.com/file/pdf/20170726_22.pdf

Scanned by CamScanner

27

P-6

DISTRICT AND SESSIONS JUDGE LUDHIANA Receipt No 12361 Dated 4/9/17

...s been blocked from loading remote images.

Subject: Let us Save this Whistle Blower whose Life is at Risk for Exposing the Corruption of ACP

To: pshrc.chd@gmail.com, cpludhiana@gmail.com, djldh-chd@nic.in, reggen@indianjudiciary.gov.in, reg.vig.phc@indianjudiciary.gov.in, adcphqrsldh@gmail.com, cs@punjab.gov.in, admr-chandigarh@nic.in, dc.chandigarh@nic.in, chdsdmsouth@gov.in, dgp.complaint.police@punjab.gov.in, highcourtchd@indianjudiciary.gov.in, regce@indianjudiciary.gov.in

Date: 03/09/17 12:18 AM

From: Sonika Krantiveer <sonikaasharmaa@gmail.com>

Date : 02.09.2017

To,

1. Hon'ble International Court of Justice (ICJ)
2. Hon'ble Human Rights Campaign
3. Hon'ble United Nations High (Commissioner for Human Rights (OHCHR))
4. Hon'ble United Nations High
5. Hon'ble President of India
6. Hon'ble Supreme Court of India
7. Hon'ble Prime Minister of India
8. New York (Press Desk)
9. Emma Daly
10. Minky Worden (Media Director)
11. London (UK Director)
12. Joanna Nowak (Communications and Advocacy Associate)
13. Audrey House
14. Neue Promenade (Germany)
15. Jan Kooy (Europe Press Officer)
16. Avenue des Gaulois
17. Paris
18. Johannesburg
19. Birgit Schwarz (Senior Press Officer)

Let us Save this Whistle Blower whose Life is at Risk for Exposing the Corruption of ACP

The whistle blower, Shri. Mukesh Thakur & Lucky Gupta has brought rampant corruption of PayTM to the notice of Ludhiana Police, which was never taken cognizance of. Inspite there are three FIR registered by Ludhiana Police against the whistle blower, on the

Scanned by CamScanner

28

...ance of ACP Shri. Sachin Gupta. The whistle blower were not intimated of the charges ... ...e relatives were informed about their arrest and were put to third degree torture in SP. CIA office, clearly violating the provision of law.

Police brutality of Shri. Sachin Gupta, Asst. Commissioner of Police, Ludhiana at Punjab is a civil rights violation that occurred when he used excessive force against Shri. Mukesh Thakur & Lucky Gupta, the whistle blower which was more than necessary. Excessive force by a law enforcement officer is a violation of a person's rights. He further violated human rights, by making arbitrary arrest and detention, torture and abuse use of their official power.

A series of Supreme Court judgments have laid down the ratio of holding the state liable for police misconduct, abuse of power and, making pecuniary compensation a significant remedy for such violation of fundamental rights. The legal position as it stands now is clear that a violation of fundamental rights due to police misconduct, can give rise to a liability under public law, apart from criminal and law of torts.

It is clear to police that if they resort to unnecessary and excessive use of force, and abuse use of power, they will have to face consequences. This is the minimum requirement of a civilized society which claims to be the biggest democracy.

21848/13
6/9/17

Regards,
Sonika Krantiveer
Mob. 99209-13897
Bhrashtachar Virudh Jagrati Abhiyan
www.bvbja.com

13745/G, 06/9/17

Be sent to the Commissioner of Police, Ludhiana for information and necessary action.

District & Sessions Judge
Ludhiana 05/09/17

Inline image
Inline image
Inline image
Inline image
Inline image
Inline image

- **Read The full Article:**

www.bhrasht-acp-sachin-gupta.bvbja.com

- **CBI investigation should begin sign the E-Petition :**

https://www.change.org/p/पंजाब-के-भ्रष्टाचारी-सिस्टम-के-खिलाफ-मुहिम?recruiter=21000436&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&

Scanned by CamScanner

29

P-7

N.C.R.B/ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ

I.I.F.-I /ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮ

Distt. & Session Judge's Court Ludhiana

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(ਮੁੱਢਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ)

(ਧਾਰਾ 154 ਫ਼ੌਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ)

1. District (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ): POLICE COMMISSIONERATE LUDHIANA P.S.(ਥਾਣਾ): JODHEWAL Year(ਸਾਲ): 2017

FIR No. (ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਸੰ): 0343 Date and Time of FIR (ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸਮਾਂ): 19/08/2017 08:50 hrs

2.

S.No.(ਲੜੀ ਨੰ.)	Acts (ਕਾਨੂੰਨ)	Sections (ਧਾਰਾਵਾਂ)
1	IPC 1860	379B
2	IPC 1860	506
3	IPC 1860	120-B

3. (a) Occurrence of offence (ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਘਟਨਾ):

1. Day(ਦਿਨ): Friday Date From (ਤਰੀਕ ਤੋਂ): 18/08/2017 Date To (ਤਰੀਕ ਤਕ): 18/08/2017

Time Period (ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ): Pahar 7 Time From (ਸਮੇਂ ਤੋਂ): 21:00 hrs Time To (ਸਮੇਂ ਤਕ): 21:00 hrs

(b) Information received at P.S.(ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ): Date (ਮਿਤੀ): 19/08/2017 Time (ਸਮਾਂ): 08:50 hrs

(c) General Diary Reference (ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਾ ਸੰਦਰਭ) : Entry No. (ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਟੀ ਸੰ): 003 Date & Time (ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸਮਾਂ) : 19/08/2017 18:55 hrs

4. Type of Information (ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ): Written

5. Place of Occurrence (ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ):

1. (a) Direction and distance from P.S. (ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ): EAST, 3 Km(s) Beat No. (ਬੀਟ ਸੰ.) :

(b) Address (ਪਤਾ): ST NO 2 MOHALLA RAM NAGAR,TIBBA ROAD LUDHIANA

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (ਜੇਕਰ ਥਾਣਾ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ)

Name of P.S (ਥਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ): District(State) (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ (ਰਾਜ)):

P.S. BASTI JODHEWAL LUDHIANA

Recd. at 9:30am Ahmd HC Balwinder

07/9/17

ATTESTED Examiner

Scanned by CamScanner

N.C.R.B/ਐਨ.
I.I.F.-I /ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਤਫਤੀਸ਼ੀ

6. Complainant / Informant (ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ /ਸੂਚਨਾਕਰਤਾ):

(a) Name (ਨਾਮ): JOGINDER SINGH

(b) Father's Name (ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ) : PRITAM SINGH

(c) Date/Year of Birth (ਜਨਮ ਤਰੀਕ/ਸਾਲ): 1962

(e) UID No(ਯੂਆਈਡੀ ਨੰ.): (d) Nationality(ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ): INDIA

(f) Passport No. (ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰ.): Date of Issue (ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ):

Place of Issue
(ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਥਾਨ):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,

S.No. (ਲੜੀ ਨੰ:)	Id Type (ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਿਸਮ)	Id Number (ਪਹਚਾਣ ਨੰਬਰ)
1		

(h) Address (ਪਤਾ):

S No. (ਲੜੀ ਨੰ.)	Address Type (ਪਤੇ ਦੀ ਕਿਸਮ)	Address (ਪਤਾ)
1	Present Address	14047,ST NO 2,MOHALLA RAM NAGAR TIBBA ROAD, JODHEWAL,POLICE COMMISSIONERATE LUDHIANA,PUNJAB, INDIA
2	Permanent Address	14047,ST NO 2,MOHALLA RAM NAGAR TIBBA ROAD, JODHEWAL,POLICE COMMISSIONERATE LUDHIANA,PUNJAB, INDIA

(i) Occupation (ਕਿੱਤਾ):

(j) Phone number (ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰ): Mobile (ਮੋਬਾਇਲ ਨੰ.):

Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

7. (ਵਾਕਿਫ਼/ਸ਼ੱਕੀ/ਅਗਿਆਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਵਰਣਨ):

Accused More Than(ਇੱਕ ਤੋ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ):

S.No. (ਲੜੀ ਨੰ)	Name (ਨਾਮ)	Alias (ਉਪਨਾਮ)	Relative's Name (ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ)	Present Address (ਮੌਜੂਦਾ ਪਤਾ)
1	DOCTOR LUCKY JAIHIND			1. RAM NAGAR TIBBA ROAD, JODHEWAL,POLICE COMMISSIONERATE LUDHIANA,PUNJAB,INDIA
2	MUKESH THAKUR			1. MOHALLA RAM NAGAR TIBBA ROAD,JODHEWAL, POLICE COMMISSIONERATE LUDHIANA,PUNJAB,INDIA

ATTESTED
Examiner

- 2 JAN 2018

Scanned by CamScanner

N.C.R.B/ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ
I.I.F.-I /ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ [illegible] -I

Copying Branch
Distt & Sessions Court
Ludhiana

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant
(ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ/ਸੂਚਨਾਕਰਤਾ ਰਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ):

9. Particulars of properties of interest (ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ):

S.No. (ਲੜੀ ਨੰ:)	Property Category (ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ)	Property Type (ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕਿਸਮ)	Description (ਵੇਰਵਾ)	Value(In Rs.) (ਕੀਮਤ [illegible])

10 Total value of property stolen(In Rs/-)
(ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ(ਰ ਵਿੱਚ)):

11 Inquest Report / U.D. case No., if any (ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ / ਯੂ.ਡੀ.ਪ੍ਰਕਰਣ ਸੰ. , ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ):
S.No. (ਲੜੀ ਨੰ:) UIDB Number (ਯੂ.ਡੀ.ਪ੍ਰਕਰਣ ਸੰ.)

12 First Information contents (ਵੇਰਵਾ):

ਬਿਆਨ ਅਜਾਨੇ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ S/O ਸ: ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮਕਾਨ ਨੰ: 14047 ਗਲੀ ਨੰ: 2 ਰਾਮ ਨਗਰ ਟਿੱਬਾ ਰੋਡ ਥਾਣਾ ਜੋਧੇਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 55 ਸਾਲ। ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਕਤ ਪਤੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਕੱਲ ਮਿਤੀ 18/08/17 ਦੀ ਰਾਤ ਕ੍ਰੀਬ 9 ਵਜੇ ਮੈ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ਪਰ ਖੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੈ ਹਿੰਦ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਡਾ: ਲੱਕੀ ਜੈ ਹਿੰਦ ਤੇ ਮੁਕੇਸ ਠਾਕੁਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਰ ਆਏ ਖਰਚੇ ਦੇ ਇਵਜ ਵਿੱਚ ਜਬਰਦਸਤੀ ਪੈਸੇ ਲਵਾਗੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਲੜਕਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਉ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾ ਅਸੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਅਭਿਆਨ ਰਾਹੀ ਤੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਕਰੀ ਕਰਦੇ ਲੜਕੇ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆ ਖਿਲਾਫ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਪਕੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਇਜਤ ਕਰਾਗੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲੜਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਕਰੀ ਤੋ ਕੱਢਵਾ ਦੇਵਾਗੇ ਨਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਉ, ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ, ਤੇਰੇ ਲੜਕੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਮਾਇਤੀਆ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਦੇਵਾਗੇ।ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਕਈ ਇੱਜਤਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾ ਸਬੰਧੀ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ । ਜਿਸ ਪਰ ਮੈ ਡਰ ਕੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ 2 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਹਨ ਮੈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇ ਇਨੇ ਪੈਸੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਕੇਸ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਝੱਪਟ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋ ਪੈਸੇ 2 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਖੋਹ ਲਏ ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਜਲਦੀ ਦੇਣ ਦੀਆ ਧਮਕੀਆ ਦਿੰਦੇ ਮੌਕਾ ਤੋ ਆਪਣੇ -2 ਘਰਾ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ । ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਡਿਊਟੀ ਤੋ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ,ਆਪ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਆਪ ਪਾਸ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਣ ਲਿਆ,ਪੜ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, SD/-Joginder Singh 98151-75204, ਤਾਇਦ ਬਿਆਨ Sd/- Sukhdev Singh 98888-80660,ਤਸਦੀਕ Sd/-ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ASI ਥਾਣਾ ਬਸਤੀ ਜੋਧੇਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ 19-8-17 ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ :- ਅੱਜ ਮਨ ASI ਸਮੇਤ HC ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ 776, HC ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ 2124 ਤੇ C ਅਰੁਨਦੀਪ ਸਿੰਘ 3342 ਦੇ ਗਸ਼ਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀ ਚੋਕ ਨੇੜੇ ਪਾਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਟੋਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤਾ ਇਤਲਾਹੀਆ ਨੇ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਾਜਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਕਤ ਬਿਆਨ ਤਹਿਰੀਰ ਕਰਾਇਆ ਜੋ ਹਰਫ ਬਾ ਹਰਫ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਪੜ ਕਰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਜੇਰੇ ਬਿਆਨ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤਾਇਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਮਨ ASI ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮਜਮੂਨ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਜੁਰਮ 379-B(2),506,120-B IPC ਦਾ ਹੋਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਿਹਾਜਾ ਬਿਆਨ ਹਜਾ ਬਰਾਏ ਦਾਇਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਰਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ੀਆਨ ਉਕਤ ਬਾ ਜੁਰਮ ਉਕਤ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥੀ CT ਅਰੁਨਦੀਪ ਸਿੰਘ 3342 ਥਾਣਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ । ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਤੋ ਜਾਣੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਟਾ ਅਫਸਰਾਨ ਬਾਲਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ। ਮਨASI ਸਮੇਤ ਸਾਥੀ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀਆ ਤੇ ਮੁਦੱਈ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਤਾਈਦੀ ਦੇ ਹਮਰਾਹ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਮੌਕਾ ਬਰਾਏ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ SD/- ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ASI ਥਾਣਾ ਬਸਤੀ ਜੋਧੇਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਿਤੀ 19/08/17 ਬਾ ਹੱਦ ਬਸਤੀ ਜੋਧੇਵਾਲ ਚੌਕ ਲੁਧਿਆਣਾ AT

ATTESTED
Examiner

2 JAN 2018

Scanned by CamScanner

1:05 PM ਅੱਜ ਥਾਣਾ :- ਹਸਬ ਆਮਦ ਬਿਆਨ ਉਕਤ ਮੌਸੂਲ ਹੋਣ ਪਰ ਜੁਰਮ ਉਕਤ ਬਰਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ੀਆਨ ਉੱਕਤ ਦੇ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ I ਸਪੈਸਲ ਰਿਪੋਰਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹੱਥੀ CT ਮਨੋਜ ਗੁਪਤਾ ਨੰਬਰ 3071/ਲੁਧਿ: ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਨ ਬਾਲਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆ ਜਾਦੀਆ ਹਨ ਅਸਲ ਬਿਆਨ ਸਹਿ ਨਕਲ FIR ਹੱਥੀ CT ਅਰਿੰਦਾ ਨਿੱਜਦ ASI ਪਾਸ ਬਰ ਮੌਕਾ ਬਰਾਏ ਤਫਤੀਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਪਰ ਜਰੀਆ ਵਾਇਰਲੈਸ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(ਕਾਰਵਾਈ: ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੱ. ਨੰ 2 . ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ):

(1) Registered the case and took up the investigation (ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ): or (ਜਾਂ)

(2) Directed (Name of I.O.): (ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ): SULAKHAN Singh

Rank (ਅਹੁਦਾ): ASI (Assistant Sub-Inspector)

No(ਨੰ): 855/LDH to take up the Investigation (ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਆਪ ਪਾਸ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ) or(ਜਾਂ

(3) Refused investigation due to (ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ) :

or (ਜਾਂ)

(4) Transferred to P.S. (ਥਾਣਾ):

District (ਜਿਲ੍ਹਾ):

on point of jurisdiction (ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਰਣ) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost. (ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ/ਸੂਚਨਾਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ,ਸਹੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ |)

R.O.A.C.(ਆਰ.ਓ .ਏ .ਸੀ.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant (ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ/ਸੂਚਨਾਕਰਤਾ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ / ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ):

15. Date and time of dispatch to the court (ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸਮਾਂ):

Signature of Officer in charge, Police Station
(ਥਾਣਾ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ)
Name(ਨਾਮ): BALKAR SINGH
Rank (ਅਹੁਦਾ): SI (Sub-Inspector)
No(ਨੰ.): 2427/ldh

ATTESTED
Examiner

- 2 JAN 2018

Scanned by CamScanner

(33)

(17)

Attachment to item 7 of First Information Report (ਅੱਵਲ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮਦ 7 ਸੰਲਗਨਕ)
Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)
(ਸ਼ੱਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ,ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਾ: (ਜੇਕਰ ਵਾਕਿਫ/ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ))

S.No. (ਲੜੀ ਨੰ.)	Sex (ਲਿੰਗ)	Date/Year of Birth (ਜਨਮ ਮਿਤੀ/ਸਾਲ)	Build (ਬਣਾਵਟ)	Height (cms.)	Complexion (ਰੰਗ)	Identification Mark(s) (ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male					Poxpitted: NO
2	Male					Poxpitted: NO

Deformities/ Peculiarities (ਵਿਕਾਰ / ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ)	Teeth (ਦੰਦ)	Hair (ਵਾਲ)	Eyes (ਅੱਖਾਂ)	Habit(s) (ਆਦਤਾਂ)	Dress Habit(s) (ਪਹਿਰਾਵਾ)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (ਭਾਸ਼ਾ/ਬੋਲੀ)	Place Of(ਦਾ ਸਥਾਨ)					Others (ਹੋਰ)
	Burn Mark (ਸੜੇ ਹੋਏ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ)	Leucoderma (ਚਿੱਟਾ ਰੋਗ)	Mole (ਮਹੁਕਾ)	Scar (ਜ਼ਖਮ)	Tattoo (ਗੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾ)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused. (ਇਹ ਖੇਤਰ ਤਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ / ਸੂਚਨਾਕਰਤਾ ਸ਼ੱਕੀ / ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ |) .

ATTESTED

Examiner

- 2 JAN 2018

Scanned by CamScanner

P-8

(34)

दिनांक: 19.08.2017

Copying Branch ★ Distt. & Sessions Judge's Court LUDHIANA

DISTRICT AND SESSIONS JUDGE,
LUDHIANA

विषय: पुलिस अधिकारी की शिकायत करने पर उनके द्वारा दुश्मनी निकालने के लिये बिना जरूरी दस्तावेज़ दिखाये उठाकर ले जाने के मामले में पुलिस अधिकारी पर कार्यवाही किये जाने व पीड़ित को भ्रष्ट पुलिस अधिकारी के चंगुल से छुड़ाने बाबत।

महोदय,

मैं चंद्रकला ठाकुर पत्नि स्व. इंद्रकांत ठाकुर (पता: मकान नं. 14060, गली नं. 2, राम नगर, टिब्बा रोड, लुधियाना – 141007 Mob. 79735-71454) हूँ. मेरे बेटे मुकेश ठाकुर के ऊपर झूठी F.I.R. करके उसे मोहल्ले में हथकड़ी पहनाकर घुमाया गया था जिस मामले में मेरी तरफ से पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत की गई थी जिसकी सुनवाई 4 सितंबर को है।

मैंने जिस अधिकारी ASI स्वर्ण सिंह के खिलाफ शिकायत की थी वह आज सुबह 5.00 बजे के आसपास सादी वर्दी में आया (जिसमें दो पुलिसकर्मी भी वर्दी में थे) और बिना कोई जरूरी दस्तावेज़ दिखाये मेरे बेटे की गर्दन पकड़ कर ले जाने लगे, मैंने विरोध किया व जरूरी दस्तावेज़ पूछे तो मुझे धक्का देकर गिरा दिया और गालियाँ बकते हुये चिल्लाते हुये कहने लगे कि, "तुम लोग पुलिस के खिलाफ शिकायत करते हो अब अंजाम भुगतो" उसके बाद मेरे बेटे को लगभग घसीटते हुए ले गये मैंने हथकड़ी पहनाकर मोहल्ले में घुमाने के मामले में इस अधिकारी ASI स्वर्ण सिंह के खिलाफ शिकायत की है, यह भ्रष्ट पुलिस अधिकारी अब मेरे बेटे का दुश्मन बन चुका है और मेरे बेटे को जान से मार भी सकता है।

अतः मेरे बेटे को इस अधिकारी से बचाया जाये और गैर-कानूनी तरीके से मेरे बेटे को उठाये जाने के मामले में कार्यवाही की जाये। जो भी उचित और कानूनी कार्यवाही बनती होगी उसमें मैं पूरा सहयोग दूँगी। मेरे बेटे मुकेश ठाकुर के ऊपर दर्ज किये गये झूठे मामले की शिकायत पहले भी लुधियाना पुलिस कमिश्नर को की जा चुकी है जिसकी कॉपी भी साथ में संलग्न है।

इस मामले में पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग की तरफ से सुनवाई हेतु प्राप्त पत्र भी साथ में संलग्न है।

मेरे बेटे मुकेश की इस भ्रष्ट पुलिस अधिकारी से जान बचाई जाये और इस पूरे मामले की जाँच विशेष जाँच दल (SIT) द्वारा की जाये।

DATE OF DELIVERY 15/9/17
COPYING BRANCH LDH

चंद्रकला ठाकुर
पता: मकान नं. 14060, गली नं. 2,
राम नगर, टिब्बा रोड, लुधियाना – 141007
Mob. 79735-71454)

No. of Application
No. in Register 7910
Date of Presentation 4-9-17
Date of Notification
Number of Pages 4
Amount of Court Fee Rs. 8
Copying Fee
Urgent Fee –
Fee Application Fee –
Date on which Copy Prepared 15-9-17
Name of Copying Prepared Navneet
Examined

CERTIFIED TO BE TRUE COPY
15/9/17
Examiner
Copying Branch
District & Session Judge's Officer, Ldh.
(Authorised Under Section 76 of the Evidence Act, 1872).

COMPARED AND FOUND CORRECT
COPYIST
15 SEP 2017

Scanned by CamScanner

PUNJAB STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION
CHANDIGARH
28 AUG 2017
21323
Diary No ..... /CR/201

दिनांक : 19.08.2017

सेवा में,

पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग
SCO NO. 20-21-22, सेक्टर 34-A,
चंडीगढ़ - 160034

विषयः पुलिस अधिकारी की शिकायत करने पर उसके द्वारा दुश्मनी निकालने के लिये बिना जरूरी दस्तावेज़ दिखाये उठाकर ले जाने के मामले में पुलिस अधिकारी पर कार्यवाही किये जाने व पीड़ित को भ्रष्ट पुलिस अधिकारी के चंगुल से छुड़ाने बाबत|

महोदय,

मैं चंद्रकला ठाकुर पत्नि स्व. इंद्रकांत ठाकुर (पताः मकान नं. 14060, गली नं. 2, राम नगर, टिब्बा रोड़, लुधियाना – 141007 Mob. 79735-71454) हूँ, मेरे बेटे मुकेश ठाकुर के ऊपर झूठी F.I.R. करके उसे मौहल्ले में हथकड़ी पहनाकर घुमाया गया था जिस मामले में मेरी तरफ से पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत की गई थी जिसकी सुनवाई 4 सितंबर को है|

मैंने जिस अधिकारी ASI स्वर्ण सिंह के खिलाफ शिकायत की थी वह आज सुबह 5.00 बजे के आसपास सादी वर्दी में आया (जिनमें दो पुलिसकर्मी ही वर्दी में थे) और बिना कोई जरूरी दस्तावेज़ दिखाये मेरे बेटे की गर्दन पकड़ कर ले जाने लगे, मैंने विरोध किया व जरूरी दस्तावेज़ पूछे तो मुझे धक्का देकर गिरा दिया और गालियाँ बकते हुये चिल्लाते हुये कहने लगे कि, "तुम लोग पुलिस के खिलाफ शिकायत करते हो अब अंजाम भुगतो" उसके बाद मेरे बेटे को लगभग घसीटते हुये ले गये मैंने हथकड़ी पहनाकर मौहल्ले में घुमाने के मामले में इस अधिकारी ASI स्वर्ण सिंह के खिलाफ शिकायत की है, यह भ्रष्ट पुलिस अधिकारी अब मेरे बेटे का दुश्मन बन चुका है और मेरे बेटे को जान से मार भी सकता है|

अतः मेरे बेटे को इस अधिकारी से बचाया जाये और गैर-कानूनी तरीके से मेरे बेटे को उठाये जाने के मामले में कार्यवाही की जाये| जो भी उचित और कानूनी कार्यवाही बनती होगी उसमें मैं पूरा सहयोग दूँगी| मेरे बेटे मुकेश ठाकुर के ऊपर दर्ज किये गये झूठे मामले की शिकायत पहले भी लुधियाना पुलिस कमिश्नर को की जा चुकी है जिसकी कॉपी भी साथ में संलग्न है|

इस मामले में पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग की तरफ से सुनवाई हेतु प्राप्त पत्र भी साथ में संलग्न है|

मेरे बेटे मुकेश की इन भ्रष्ट पुलिस अधिकारी से जान बचाई जाये और इस पूरे मामले की जाँच विशेष जाँच दल (SIT) द्वारा की जाये|

चंद्रकला ठाकुर
पताः मकान नं. 14060, गली नं. 2,
राम नगर, टिब्बा रोड़, लुधियाना – 141007
Mob. 79735-71454)

Information supplied under RTI Act, 2005.
APIO/PSHRC
31/1/19

Scanned by CamScanner

(36)

P-10

दिनांक : 19.08.2017

सेवा में,

Commissioner of Police

The District Magistrate / Deputy Commissioner

Ludhiana

Ludhiana

विषयः पुलिस अधिकारी की शिकायत करने पर उसके द्वारा दुश्मनी निकालने के लिये बिना जरूरी दस्तावेज़ दिखाये उठाकर ले जाने के मामले में पुलिस अधिकारी पर कार्यवाही किये जाने व पीड़ित को भ्रष्ट पुलिस अधिकारी के चंगुल से छुड़ाने बाबत|

महोदय,

मैं चंद्रकला ठाकुर पत्नि स्व. इंद्रकांत ठाकुर (पताः मकान नं. 14060, गली नं. 2, राम नगर, टिब्बा रोड़, लुधियाना – 141007 Mob. 79735-71454) हूँ, मेरे बेटे मुकेश ठाकुर के ऊपर झूठी F.I.R. करके उसे मौहल्ले में हथकड़ी पहनाकर घुमाया गया था जिस मामले में मेरी तरफ से पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत की गई थी जिसकी सुनवाई 4 सितंबर को है|

मैंने जिस अधिकारी ASI स्वर्ण सिंह के खिलाफ शिकायत की थी वह आज सुबह 5.00 बजे के आसपास सादी वर्दी में आया (जिनमें दो पुलिसकर्मी ही वर्दी में थे) और बिना कोई जरूरी दस्तावेज़ दिखाये मेरे बेटे की गर्दन पकड़ कर ले जाने लगे, मैंने विरोध किया व जरूरी दस्तावेज़ पूछे तो मुझे धक्का देकर गिरा दिया और गालियाँ बकते हुये चिल्लाते हुये कहने लगे कि, "तुम लोग पुलिस के खिलाफ शिकायत करते हो अब अंजाम भुगतो" उसके बाद मेरे बेटे को लगभग घसीटते हुये ले गये मैंने हथकड़ी पहनाकर मौहल्ले में घुमाने के मामले में इस अधिकारी ASI स्वर्ण सिंह के खिलाफ शिकायत की है, यह भ्रष्ट पुलिस अधिकारी अब मेरे बेटे का दुश्मन बन चुका है और मेरे बेटे को जान से मार भी सकता है|

अतः मेरे बेटे को इस अधिकारी से बचाया जाये और गैर-कानूनी तरीके से मेरे बेटे को उठाये जाने के मामले में कार्यवाही की जाये| जो भी उचित और कानूनी कार्यवाही बनती होगी उसमें मैं पूरा सहयोग दूँगी| मेरे बेटे मुकेश ठाकुर के ऊपर दर्ज किये गये झूठे मामले की शिकायत पहले भी लुधियाना पुलिस कमिश्नर को की जा चुकी है जिसकी कॉपी भी साथ में संलग्न है|

इस मामले में पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग की तरफ से सुनवाई हेतु प्राप्त पत्र भी साथ में संलग्न है|

मेरे बेटे मुकेश की इस भ्रष्ट पुलिस अधिकारी से जान बचाई जाये और इस पूरे मामले की जाँच विशेष जाँच दल (SIT) द्वारा की जाये|

चंद्रकला ठाकुर

पताः मकान नं. 14060, गली नं. 2,
राम नगर, टिब्बा रोड़, लुधियाना – 141007
Mob. 79735-71454)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

37

P-11

शिकायतकर्ता :
चंद्रकला ठाकुर
पताः मकान नं. 14060,
गली नं. 2, राम नगर, टिब्बा रोड़,
लुधियाना – 141007
Mob. 79735-71454

दिनांक : 20.08.2017

report of concerned SHO for 21.8.17

सेवा में,

विषयः मेरे बेटे मुकेश ठाकुर व पीड़ित लकी गुप्ता उर्फ जयहिंद के साथ की गई धोखाधड़ी की सबूतों के साथ चार महीने पहले दी गई शिकायत पर कार्यवाही न करके उन पर ही झूठी तीन-तीन F.I.R. दर्ज करने के मामले में संज्ञान लेते हुये कार्यवाही किये जाने हेतु।

महोदय,

मेरे बेटे मुकेश ठाकुर व पीड़ित लकी गुप्ता उर्फ जयहिंद ने Paytm के द्वारा उसके खाते से चोरी किये जाने के मामले में चार महीने पहले शिकायत की थी मगर उस मामले में पुलिस के द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई और ना ही F.I.R. दर्ज की गई।

मगर रंजिश के तहत कि, मेरे बेटे मुकेश ठाकुर व पीड़ित लकी गुप्ता उर्फ जयहिंद ने शिकायत क्यों की? के नाम पर अपराधियों व भ्रष्ट अधिकारियों ने इन दोनों पर ही तीन-तीन झूठी F.I.R. दर्ज करवा दी है और जान से मारने का भी कहा जा रहा है।

इस मामले में मेरी व मेरे बेटे की तरफ से पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग व अन्य विभागों में शिकायत की थी, जिसमें केवल पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग से ही इंक्वारी माँगी गई बाकि किसी भी विभाग से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। कल दिनांक 19.08.2017 को सुबह 5.00 बजे बिना किसी पूर्व सूचना व दस्तावेज़ दिखाये बेटे का अपहरण किया व पूरे दिन गायब रखा जिसकी वजह से सेशन कोर्ट में आवेदन दिया गया।

जब काफी फोन व ईमेल किये गये तब कहीं जाकर रात 10.30 बजे पुलिस थाने बस्ती जोधेवाल में रखा है, ऐसा पता चला।

UNCERTIFIED COPY

Scanned by CamScanner

38

मेरे बेटे मुकेश ठाकुर व पीड़ित लकी गुप्ता उर्फ जयहिंद को अपराधियों के व भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत किये जाने की वजह से परेशान किया जा रहा है उसकी जान का खतरा है|

मैं चाहती हूँ कि, मेरे बेटे मुकेश ठाकुर व पीड़ित लकी गुप्ता उर्फ जयहिंद के मामले को खुद संज्ञान में लेते हुये सारे शिकायती दस्तावेज़ देखें व मजिस्ट्रेट की निगरानी में जाँच करवाये जिससे मेरे बेटे व पीड़ित लकी गुप्ता उर्फ जयहिंद को इंसाफ मिल सके व न्याय की जीत हो|

<u>मैं निम्न बिंदुओं पर कार्यवाही के लिये प्रार्थना करती हूँ :</u>

1. Paytm से धोखाधड़ी के मामले में संज्ञान लेते हुये पुलिस को F.I.R. दर्ज करने का आदेश दें|
2. सुबह 5.00 बजे बिना किसी पूर्व सूचना व दस्तावेज़ दिये धक्के मार कर कॉलर व गर्दन पकड़कर अपहरण करके ले गये और रात 10.30 बजे तक कोई खबर नहीं मिली बीच में CIA के ऑफिस में इन दोनों को वस्ती जोधेवाल पुलिस थाने के सिपाही लेकर आये थे जिसका हम लोगों को वहाँ खड़े होने की वजह से पता चला तब वहाँ के बड़े अधिकारी से मिलने व जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की तो वहाँ के इंचार्ज जतिंदर कुमार द्वारा लगभग धक्का देते हुये बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और मिलने ही नहीं दिया गया जिससे मेरे बेटे को किस अपराध में गिरफ्तार किया गया है कि जानकारी मुझे नहीं हुई और ना ही मुझे अभी तक गिरफ्तारी से संबंधित कोई भी दस्तावेज़ दिया गया है|
3. पुलिसवालों की वेबसाईट पर ही 'सिटिज़न चार्टर' में डी.के.वासु की गाईडलाईन दी गई है जिसका पूरी तरह उल्लंघन किया गया है अतः संज्ञान में लें व कार्यवाही करें|
4. Justice A N Mullah called the police an organized gang of criminals, इस वाक्य को ध्यान में रखते हुये हमारे द्वारा भेजी गई शिकायती दस्तावेज़ों को देखते हुये मामले की गंभीरता को संज्ञान में लें और उचित कार्यवाही करें|
5. मेरे बेटे व पीड़ित लकी की जान की रक्षा व न्याय की रक्षा के लिये मामला तुरंत संज्ञान में लेते हुये मजिस्ट्रेट की निगरानी में जाँच करवाने का आदेश दिया जाये
6. आवश्यक दस्तावेज़ साथ में संलग्न है|

चन्द्रकला ठाकुर

चंद्रकला ठाकुर
शिकायतकर्ता

UNCERTIFIED COPY

Scanned by CamScanner

24/1/19 20+5 = 25
Manu Sehgal Stamp Vendo.
Licence No.-93-I
New Court, Ludhiana

Manu Sehgal Stamp Vendor
Licence No. 93-I
New Court, Ludhiana

SPECIAL ADHESIVE

39

P-12

शपथ-पत्र

मैं सुमंत कुमार पुत्र श्री. चन्द्रभान पताः मकान नं. 65-66, कपूर करियाना स्टोर के पास, बेअंत कॉलोनी, जमालपुर, चंडीगढ़ रोड़, लुधियाना का रहनेवाला हूँ।

मैं जयहिंद गुप्ता उर्फ लकी गुप्ता को 6-7 वर्षो से जानता हूँ क्योंकि वो मेरे दोस्त के दोस्त मुकेश ठाकुर पुत्र स्व. इंद्रकांत ठाकुर (पताः मकान नं. 14060, गली नं. 2, राम नगर, टिब्बा रोड़, लुधियाना) के मौहल्ले मे क्लीनिक चलाते हैं, जयहिंद गुप्ता जी का व्यवहार काफी अच्छा है इसलिये मैं व मेरा परिवार उनके क्लीनिक में अक्सर ही इलाज के लिये आते-जाते रहते हैं। मैं मुकेश ठाकुर को भी अच्छे से जानता हूँ और वो कई सामाजिक संगठनों (भ्रष्टाचार विरूद्ध जागृति अभियान, जज एडवोकेट पीड़ित ऑर्गेनायज़ेशन, लुधियाना आदि) से जुड़ा हुआ है और उसने कई सामाजिक कार्य किये हैं साथ ही वह पीड़ितों व शोषितों की मदद के लिये हमेशा आगे रहता है।

जयहिंद गुप्ता के Paytm खाते से पैसा चोरी कर लिया गया था जिसकी शिकायत देने के बाद आरोपी पर कार्यवाही करने की अपेक्षा जयहिंद व मुकेश पर आरोपी के परिवार की तरफ से कई F.I.R. दर्ज करवा दी गई।

जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि, जयहिंद गुप्ता और मुकेश ठाकुर पर दर्ज FIR No. 343/2017 में यह आरोप है कि, 'दिनांक 18.08.2017 को रात 9:00 बजे के आस-पास मुकेश व जयहिंद द्वारा शिकायतकर्ता जोगिन्दर सिंह से पैसे छीने गये हैं' तो मुझे याद आया कि दिनांक 18.08.2019 को रात 8.00 बजे से 10.00 बजे तक मैं व मेरी पत्नी के इलाज के लिये जयहिंद गुप्ता के साथ ही थे, पहले तो हम क्लीनिक पर मौजूद थे फिर बाद में उनके घर पर भी मौजूद रहे। 18.08.2017 की तारीख मुझे इसलिये भी याद है क्योंकि उसी दिन मुकेश ठाकुर की 2 वर्षीय बेटी ने खेल-खेल में अपने कान में मोती डाल लिया था और जब मैं अपनी पत्नी के साथ जयहिंद के क्लीनिक में गया था तभी थोड़ी देर बाद ही 8.30 बजे के आसपास मुकेश की मम्मी अपनी पोती (मुकेश की बेटी) के साथ क्लीनिक पर आईं थीं और हम सबने मुकेश की बेटी के हाथ-पकड़ कर बड़ी मुश्किल से उसके कान से मोती निकाला था। अगले दिन दिनांक 19.08.2017 को मेरे दोस्त राजेश (जो मुकेश का भी दोस्त है) ने सुबह 7.00 बजे के आसपास मुझे बताया था कि, सुबह 5.00 बजे से 5.30 बजे के बीच जयहिंद गुप्ता और मुकेश को पुलिस द्वारा जबरदस्ती गर्दन पकड़कर घर से उठाकर ले जाया गया है।

मैं शपथ पूर्वक यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि जयहिंद गुप्ता दि. 18.08.2017 की रात 8.00 बजे से 10.00 बजे तक मेरे व मेरी पत्नी के साथ उन्हीं के क्लीनिक में मौजूद था और उसी दौरान मुकेश की मम्मी उसकी बेटी के साथ क्लीनिक में आई थीं। सत्यता की जाँच के लिए मेरे (मोबाईल नं. 95929-10590) के साथ-साथ जयहिन्द (मोबाईल नं. 73554-27270) व मुकेश ठाकुर (मोबाईल नं. 81467-61055) के नम्बरों की मोबाईल लोकेशन की जाँच की जा सकती है, जिससे यह प्रमाणित हो जायेगा कि मैं अपनी पत्नी व मुकेश ठाकुर की मम्मी के साथ जयहिंद के क्लीनिक पर मौजूद था जबकि मुकेश ठाकुर अन्य लोकेशन पर मौजूद था।

मैं ऊपर लिखी बातों को सत्यापित करता हूँ। मै यह बयान बिना किसी दबाव के व अपने पूरे होशो-हवास में दे रहा हुँ और ऊपर लिखी बातों को सत्यापित करता हूँ।

NOTARY
Bhupinder Pal Singh
Ludhiana (Pb.)
Regd No.3080
GOVT. OF INDIA
25/1/19

Sumant kr.

सुमंत कुमार
मोव. 95929-10590

Sumant kr.

4583 4294 3314

I know the deponent/executant
Signatory and he/she has signed/marked
his/her R.T.I./L.T.I. in my presence

Signature Attested
NOTARY PUBLIC
Ludhiana Distt (Pb.)

25 JAN 2019

Scanned by CamScanner

वसीका नं. 2151 तारीख ... बीमार 8/1 ... L.No. 5,

SPECIAL ADHESIVE

SPECIAL ADHESIVE

40

P-13

शपथ-पत्र

मैं संजय कुमार पुत्र श्री. चन्द्र लाल पताः मकान नं. 13865, रमेश नगर, गली नं. 2, टिब्बा रोड, लुधियाना - 141007 का रहनेवाला हूँ|

मैं मुकेश ठाकुर पुत्र स्व. इंद्रकांत ठाकुर (पताः मकान नं. 14060, गली नं. 2, राम नगर, टिब्बा रोड, लुधियाना) को बचपन से जानता हूँ क्योंकि वो मेरा बचपन का दोस्त है| मुकेश ठाकुर कई सामाजिक संगठनों (भ्रष्टाचार विरुद्ध जागृति अभियान, जज एडवोकेट पीड़ित ऑर्गेनायज़ेशन, लुधियाना फोरम फॉर फास्ट जस्टिस आदि) से जुड़ा हुआ है और उसने कई सामाजिक कार्य किये हैं साथ ही वह पीड़ितों व शोषितों की मदद के लिये हमेशा आगे रहता है|

पीड़ित जयहिंद गुप्ता के Paytm खाते से पैसा चोरी कर लिया गया था जिसके मामले में मुकेश ने सबूतों के साथ सभी विभागों में शिकायतें दी थीं मगर पुलिस विभाग द्वारा सबूत होने के बावजूद Paytm मामले में आजतक कोई कार्यवाही नहीं की गई बल्कि शिकायत करने के बाद बदला लेने व अपना रुतबा दिखाने के लिये आरोपियों व उसके परिवार ने पुलिस के साथ मिलकर मुकेश व जयहिंद पर ही 3-3 झूठी FIR (DDR No. 23/2017 दिनांक 22.06.2017, F.I.R. No. 236/2017 दिनांक 23.06.2017, F.I.R. No. 0343/2017 दिनांक 19.08.2017) दर्ज करवा दीं|

दिनांक 18.08.2017 को मुकेश ठाकुर रात 8.00 बजे के आसपास मेरी दुकान पर आया था (क्योंकि मुकेश ने विनोद मोब. 81460-55499 को मेरी दुकान पर बुलाया था) फिर वह विनोद से बातचीत करने के लिये उसके साथ रामा आटा चक्की के पास गया था जहाँ से वह पिंटु के घर (गुलाबी बाग) होते हुये दुबारा मेरी दुकान पर आया और उसके बाद मैं और मुकेश रात 9.30 बजे सुभाष नगर टॉवर लाईन के नीचे गुरुद्वारा के पास बर्गर खाने गये जहाँ से रात 10.00 बजे के आसपास हम दोनों अपने-अपने घर के लिये निकल गये|

64
7/2/2018

NOTARY PUBLIC
Ashwani Jolly
LUDHIANA (Pb.)
Regd. No. 2784
GOVT. OF INDIA

अगले दिन दिनांक 19.08.2017 को सुबह लगभग 7.30 से 8.00 बजे के आसपास मुकेश की मम्मी मेरे पास आईं और पूछने लगीं कि क्या तुम्हें पता है कि मुकेश को कहाँ लेकर गये हैं? उन्होंने यह भी बताया कि सुबह 5.30 से 6.00 के आसपास पुलिस द्वारा मुकेश को जबरदस्ती गर्दन पकड़कर घर से उठाकर ले जाया गया है|

जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि, आरोपियों व उसके परिवार ने पुलिस के साथ मिलकर मुकेश व जयहिंद पर ही झूठी FIR दर्ज करवा रहे हैं और उसी श्रेणी में यह तीसरी F.I.R. No. 0343/2017 दिनांक 19.08.2017 भी दर्ज कर दी गई है, मुकेश 18.08.2017 को रात 8.00 बजे से मेरे मौहल्ले के आसपास ही मौजूद था और हम दोनों साथ में ही सुभाष नगर गये थे और रात 10.00 बजे के आसपास अपने-अपने घर वापस आ गये थे|

Certified that the affidavit SPA / GPA has been read over & explained to the deponent executant who seems ... to understand the same at the making there of.

मैं ऊपर लिखी बातों को सत्यापित करता हूँ|

Adhar No. 486422483225 of Sanjay Kumar

Sanjay Kumar

Attested as Identified

NOTARY PUBLIC
Distt. Ludhiana (Punjab)

07 FEB 2018

संजय कुमार

मोब. 98561-58958

Scanned by CamScanner

41

P-14

Copying Branch
Distt & Session Judge's Court
Ludhiana

State VS Mukesh Thakur

On.SA

PW-1 Sukhdev singh aged about 32 years son of Joginder Singh, R/o H.No. 14047, Street no. 2 Ram Nagar Tibba Road, Ludhiana.

Stated that I am working as Inspector in Food and Supply Department Punjab. On 18.08.2017 when I returned from my duty and came to my house my father Joginder Singh stated to me that after taking the dinner I went out side the house. In front of our house there is a shop of Lucky Jai Hind, where Lucky Jai Hind and Mukesh Thakur the accused who were present in the court who were standing and they threatened my father Joginder Singh and asked him that what he has done in the case already got registered by my father against the accused. My father further stated to me that accused threatened to him that his son that is myself was working as public servant in the Punjab Govt Department and they demanded Rs. 1,00,000/- from my father. They also threatened my father that they are running an NGO in the name of Jagruti Abhiyan and they will defame us in the society by circulating the pumplet in the area and they also threatened my father that they will get retrench his son Sukhdev Singh from his Govt Job. My father further stated to me that accused snatched Rs. 2000/- from him which he was having in his possession at that time and accused went away by giving threats to his father and were saying that the remaining amount be arranged by my father. Due to dark we did not visit police station at that time and in the next morning at about 8.00/.8.30 AM I along-with my father were going to report to the matter of police. In the way Basti Chowk Pal Departmental Store the police party ASI Sulakhan Singh met us where my father got recorded his statement Ex. PW1/A to the police. I identify the signature of my father at Point-A. My father signed on his statement which was read over to him by the police. I also

ATTESTED
Examiner

05 JAN 2019

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

42

signed on the statement Ex. PW1/A at Point-B as token of its correctness. My statement was also recorded by the police.

XXXXXXXXXXXXby defence counsel for accused

I have no personal knowledge about the entire incident took place as I stated about. Whatever I stated above is hearsay as narrated by my father to me. I used to drive the vehicle which is a car. I and my brother know how to drive car and my father used to drive motorcycle only. All of us I have no problem to drive during night. My brother Amrit Pal Singh was also came present just prior to me at home in the night of incident. There are three CCTV Camera installed out of our house. At the time of occurrence there were two cameras installed at the front wall of our house towards street. No recoding of the time of occurrence was preserved by us. In site plan produced by the prosecution at Point-A the cameras are installed as mentioned-above by me. It is correct that the site plan is incorrect with respect to the closed street not shown in it. The first cameras cover the portion of 8 to 10 feet of the gate area. The second camera is towards parking area in the street. My father told me that the occurrence took place at Point-X mentioned in the site plan which is near the shop. The IO visited the spot on the next day of occurrence. There were four police officials who came at the spot. I did not tell them about the camera installed. I along-with my father went to police at Basti Chowk Near Pal Departmental Store on 19.08.2017 to record my statement. My statement was recorded by the police and I signed the same. Thereafter, I did not get recorded any statement of mine to the police. Police did not give me FIR copy. I do not know about any other police proceeding regarding the occurrence. It is correct that we have previous dispute with accused regarding alleged defaming of me by accused person on social media. Accused persons also attacked my sister. I and my sister have lodged two FIRs against accused persons for the above-said offences. I have informed the police in present case

Copying Branch
Distt. & Sessions Judge's Court

ATTESTED
Examiner

05 JAN 2019

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

43

regarding the aforesaid occurrences. Police has recorded about the defamation occurrence allegedly done by the accused in my statement of the present case. Apart from the aforesaid occurrence there is no other dispute between me and accused person. After the death of my father I enhanced the focus area of the camera installed at my house. When the aforesaid two occurrences took place I did not take any step to enhance the focus area of the cameras. It is correct that despite being educated person I did not inform the police by dialing number 100 or immediately approaching the police. Volunteered said my father informed the police. He might have informed on phone. My father told me that he has informed the police and they will go in the morning to the police. It is incorrect to suggest that I have falsely implicated the accused to take revenge regarding the aforesaid alleged occurrence. It is incorrect to suggest that no such occurrence took place. It is incorrect to suggest that I have deposed falsely.

RO & AC

Balwinder Kumar
Addl. Sessions Judge, Ludhiana.
26.11.2018

Copying Branch Distt. & Sessions Judge's Court

DATE OF DELIVERY 05/1/19
Examiner
COPYING BRANCH
Distt. & Session Judge's & Courts. LDH

No. of Application 14266
In CD II Register 14/12/18
The Date of Presentation
of Application
Total Number of Pages 4
Amount of Court Fee Rs. 8
Copying Fee
Urgent Fee
Search Fee Application Fee
Date in which copy prepared 5/1/19
Name of copying prepared
Examiner

COMPARED AND FOUND CORRECT
COPYIST

CERTIFIED TO BE TRUE COPY 05/1/19
Examiner
Copying Branch
District & Session Judge's Office, Ldh
(Authorised Under Section 76 of the Evidence Act, 1879)

05 JAN 2019

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

P-15

Nirpal Ptg. 0161-2700405

44

Copying Branch ★ Ludhiana ★ Sessions Judge's Court

ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ

ਥਾਣਾ ਬਸਤੀ ਜੋਧੇਵਾਲ

ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀ : ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ S/o ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ H. No. 14047 [illegible] P.S. ਜੋਧੇਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ

ਬਨਾਮ : [illegible] 1460 [illegible] P.S. ਜੋਧੇਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ

ਮੁਕਦਮਾ ਨੰ 34 ... ਮਿਤੀ 19/8/017 ... U/S 379B(2)/120B, 506 IPC

ਥਾਣਾ ਬਸਤੀ ਜੋਧੇਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ

ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮੀਮੋ

ਮੈ ASI [illegible] ਸਿੰਘ ਨੰ 955 ਬਤੌਰ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਥਾਣਾ ਬਸਤੀ ਜੋਧੇਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤਾਇਨਾਤ ਹਾਂ ਅਤੇ [illegible] ਪੁੱਤਰ [illegible] ਵਾਸੀ H. No. 1460 [illegible] ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਕਤ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਕਿ ਆਪ ਨੇ [illegible] ਜੋ ਮੇਰੇ ਧਾਰਾ 379B(2)/120B, 506 IPC ਸਜਾਯੋਗ ਹੈ ।

ਆਪ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇ ਆਪ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ....

.... ਪੁੱਤਰ .... ਵਾਸੀ .... ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

P.S. BASTI JODHEWAL ★ LUDHIANA ★

9918887645
[illegible] ਲੁਧਿਆਣਾ

(1) ਗਵਾਹ HC [illegible]
P.S. ਜੋਧੇਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ

ਦੋਸ਼ੀ ਉਕਤ
[illegible]

(2) ਗਵਾਹ HC ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ [illegible]
P.S. ਜੋਧੇਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ

Vijay Kumar HC/T 16

ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ [illegible]

ਥਾਣਾ ਬਸਤੀ ਜੋਧੇਵਾਲ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ

ਤਾਰੀਕ ਤੇ ਸਮਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ
19/8/017

ATTESTED
Examiner - 2 JAN 2018

Scanned by CamScanner

Nirpal Ptg. 0161-2760405

45

ਥਾਣਾ / ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ

ਜੋਧੇਵਾਲ

ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ

ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀ : [illegible] S/o [illegible] ਮ.ਨੰ 14054 ਗਲੀ ਨੰ 2 [illegible] ਲੁਧਿਆਣਾ

ਬਨਾਮ : ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ S/o Lt. ਇੰਦਰਜੀਤ [illegible] ਬ੍ਰਾਹਮਣ [illegible] PS [illegible] 14660 ਗਲੀ ਨੰ 2 [illegible] ਲੁਧਿਆਣਾ

ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਤਲਾਹ ਮੀਮੋ

ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰ: 347 ਮਿਤੀ 19/09/17 U/s 379-B(2), 120-B IPC ਥਾਣਾ ਜੋਧੇਵਾਲ ਵਿੱਚ

ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ Lt. ਇੰਦਰਜੀਤ ਜਾਤ

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਾਸੀ 14660 ਗਲੀ ਨੰ 2 [illegible] ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ

(ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ) ਖੁਦ ਹੈ ਨੂੰ ਮੈ (ਨਾਂਮ ਅਤੇ ਰੈਂਕ) ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ASI

ਨੰਬਰ [illegible] ਚੌਕੀ .... ਥਾਣਾ ਜੋਧੇਵਾਲ

ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ [illegible].17 ਵਕਤ .... ਵਜੇ .... ਨੂੰ

ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਆਪ ਬਤੌਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋ ।

ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ

ਗਵਾਹ ਦਸਤਖਤ [signature]

HC [illegible] 2124 [illegible]

ਨਾਮ ....

ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ....

ਵਾਸੀ ....

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ASI

ਇਤਲਾਹ ਭੇਜਣਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ

PS ਜੋਧੇਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ

Vijay Kum HC 1776

ਮਿਤੀ .... ਸਮਾਂ ....

ATTESTED

Examiner

- 2 JAN 2018

Copying Branch Sessions Judge's Court Ludhiana

P.S. BASTI JODHEWAL LUDHIANA

Scanned by CamScanner

①

46

P-16

State Vs. Mukesh Thakur

Present: Sh. Harkamalpreet Singh, APP for the State

Accused Mukesh Thakur and Lucky @ Jai Hind Heera Lal in custody represented by Ms. Pawanjit Kaur, Adv. (Free Legal Aid Counsel)

Accused produced before me being duty Magistrate. An application for seeking police remand of accused has been moved. Heard. Police file perused. No time of arrest of the accused has been mentioned on the arrest memos. Further, no specific ground has been mention for seeking the police remand of the accused and nothing has been mentioned as to whether any recovery is to be effected from the accused or not. Therefore, no ground is made out to remand the accused to police custody. Accordingly, accused Mukesh Thakur and Lucky @ Jai Hind Heera Lal are remanded to judcial custody till 02.09.2017. Papers be sent to Ld. concerned court immediately.

Copying Branch ★ Distt. & Session Judge's Court ★ Ludhiana

(Ekta)

(Unique Identity Code:PB0463)

Manu JMIC(D)/Ldh/20.08.2017

ATTESTED

Examiner

05 JAN 2019

Scanned by CamScanner

PUNJAB STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION CHANDIGARH
29 AUG 2017
21542
Diary No ./CR/201

शिकायतकर्ता :
चंद्रकला ठाकुर
पत्नि स्व. इंद्रकांत ठाकुर
पताः मकान नं. 14060, गली नं. 2,
राम नगर, टिब्बा रोड, लुधियाना -141007
Mob. 79735-71454

दिनांक : 23.08.2017

सेवा में,

The Chairman
Punjab State Human Rights Commission
SCO NO. 20-21-22, Sector 34-A,
Chandigarh - 160034

विषयः झूठी शिकायत पर तुरंत F.I.R. के मामले में सच्चाई सामने लाने के लिये उपलब्ध तकनीकी सबूतों को तुरंत सीज़ करके सर्टिफाईड सी.डी. दिये जाने बाबत्|

महोदय,

मैं चंद्रकला ठाकुर पत्नि स्व. इंद्रकांत ठाकुर (पताः मकान नं. 14060, गली नं. 2, राम नगर, टिब्बा रोड, लुधियाना -141007 Mob. 79735-71454) हूँ| मेरे बेटे मुकेश ठाकुर व पीड़ित लकी गुप्ता उर्फ जयहिंद को 19 अगस्त 2017 को पुलिस से मिलकर झूठी शिकायत पर तुरंत F.I.R. No. 0343/2017 दिनांक 19.08.2017 को दर्ज करते हुये उन्हें झूठे मामले में शिकायत व F.I.R. No. 0343/2017 दर्ज होने से पहले ही सुबह 5.00am बजे गिरफ्तार किया गया लेकिन हमें कोई जानकारी नहीं दी गई और उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देश जो डी.के.बासु और अर्नेश कुमार आदि मामलों में दिये गये हैं व लुधियाना पुलिस की वेबसाईट http://ludhianapolice.in/ पर सिटिज़न चार्टर में भी बताया जा रहा है, का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया गया| ज्ञात रहे कि, इसके पहले भी इसी तरह षडयंत्र करके F.I.R. No. 236/2017 दिनांक 23.06.2017 का गिरफ्तार किया गया था और हथकड़ी लगाकर मौहल्ले में घुमाने की शिकायत पर पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग ने पुलिस कमिश्नर, लुधियाना को जाँच का आंदेश दिया था उससे बचने के लिये फिर से दुबारा झूठी शिकायत, जो सुबह 8.50am बजे रजिस्टर की गई लेकिन सुबह 5.00am बजे ही गिरफ्तार कर लिया गया|

इस मामले में पुलिस कमिश्नर, लुधियाना भी दोषी हैं इसलिये इस मामले में तुरंत निम्न कार्यवाही करते हुये तकनीकी सबूतों को सील करके सत्यापित सी.डी. व दस्तावेज दिये जायें व सीज करें|

1. दिनांक 18.08.2017 के दिन रात 8.30pm से 10.00pm के बीच की निम्न मोबाईल नंबरों की लोकेशन सर्टिफाईड दस्तावेज़ के साथ उपलब्ध करायें|

Attested
Examiner/PSHRC

Scanned by CamScanner

(48)

a. मुकेश ठाकुर मोबाईल नं. 81467-61055, 98153-31427, 92561-58958

b. लकी गुप्ता उर्फ जयहिंद मोबाईल नं. 73554-27270

c. जोगिन्दर सिंह मोबाईल नं. 98151-75204, अमृतपाल सिंह उर्फ बिक्की मोबाईल नंबर 99888-50660, सुखदेव सिंह मोबाईल नंबर 98888-99908 व इन सभी के अन्य मोबाईल नंबर जो यह लोग उपयोग करते हैं

2. जोगिंदर सिंह के दरवाजे को लक्ष्य करके लगाये गये CCTV कैमरे की दिनांक 18.08.2017 की रात 8.30 से 10.00 बजे के बीच की CCTV Footage सील करके दी जाये|

3. दिनांक 15.08.2017 की सुबह 11.00am बजे से 20.08.2017 की शाम 5.00pm बजे तक की पुलिस थाने बस्ती जोधेवाल के अन्दर जाने वाले सभी रास्तों में लगे CCTV कैमरे की Footage व शिकायत खिड़की के पास लगे CCTV कैमरे की फुटेज सील की जाये व दी जाये|

4. दिनांक 19.08.2017 को सुबह 5.00am बजे मेरे व लकी के घर पर आये सभी पुलिसकर्मियों के नाम व मोबाईल नंबर तुरंत रिकॉर्ड पर लेकर दिये जाये व उन पुलिसकर्मियों की 19.08.2017 के दिन सुबह 4.00am बजे से 20.08.2017 की शाम 9.00pm बजे तक की मोबाईल लोकेशन की सत्यापित कॉपी ली जाये व दी जाये|

5. बस्ती जोधेवाल के पुलिसकर्मियों जिनके बैल्ट नंबर व नाम निम्न हैं कि दि. 19.07.2017 के दिन की दोपहर 12.00 बजे से 3.00 बजे के बीच की मोबाईल लोकेशन सील करते हुये सत्यापित कॉपी दी जाये

a. CT मनोज गुप्ता बेल्ट नंबर 3071

b. CT अरूणदीप सिंह बेल्ट नंबर 3342

c. ASI सुलखान सिंह बेल्ट नंबर 855

6. जिस गाड़ी से मेरे बेटे मुकेश ठाकुर व लकी को गिरफ्तार करके ले जाया गया उस गाड़ी का नंबर रिकॉर्ड पर लिया जाये और वह गाड़ी, जिस मेन रोड़ पर चली, उस रोड़ पर स्ट्रीट लाईटों के खंबों में लगे सरकारी कैमरों की दिनांक 19.08.2017 को सुबह 4.00am से लेकर 10.00am तक की CCTV Footage सील की जाये व दी जाये|

7. मारूती गाड़ी नंबर PB 08 BZ 4512 दिनांक 19.08.2017 के दिन शाम 3.30pm से 4.30pm के बीच 'क्राईम इंवैस्टीगेशन एजेंसी (CIA)' के दफ्तर के प्रांगण में मौजूद थी उस गाड़ी के CIA दफ्तर पहुँचने के व वापसी के समय के हिसाब से 3.00pm से 5.00pm के बीच की उन स्ट्रीट लाईट के खंबों पर लगे सरकारी कैमरों की फुटेज सील की जाये जिस रास्ते से यह गाड़ी CIA दफ्तर में जाती है और बाहर आती है|

Attested
3/11/17
Examiner/PSHRC

Scanned by CamScanner

49

- दिनांक 19.08.2017 के दिन शाम मारूती गाड़ी नंबर PB 08 BZ 4512 थाना बस्ती जोधेवाल से लगभग 2.30pm बजे के आसपास चली, उस समय की उस गाड़ी में बैठनेवालों की CCTV Footage सील की जाये|

9. CIA दफ्तर में दिनांक 19.08.2017 को शाम 3.30pm बजे के बाद किस-किस को गिरफ्तार करके लाया गया, उनकी रजिस्टर इंट्री को सील किया जाये व वहाँ मौजूद CCTV कैमरों की दिनांक 19.08.2017 को शाम 3.00pm से 7.00pm बजे के बीच की फुटेज सील की जाये व दी जाये|

10. अमृतपाल सिंह उर्फ विकी, सुखदेव सिंह, जोगिन्दर सिंह, ASI स्वर्ण सिंह और ACP/North सचिन गुप्ता आदि सभी के मोबाईल नंबरों की कॉल डीटेल्स की सत्यापित कॉपी ली जाये व दी जाये|

मेरे बेकसूर बेटे मुकेश ठाकुर व पीड़ित लकी गुप्ता उर्फ जयहिंद को इंसाफ दिलाने व न्याय की रक्षा के लिये उन तकनीकी सबूतों को नष्ट होने से पहले सील किया जाये व मुझे सत्यापित कॉपी व सी.डी. दी जाये|

आपसे निवेदन है कि, आप तीनों F.I.R. (F.I.R./D.D.R. No. 23/17 दिनांक 22.06.2017; F.I.R. नं. 236/2017 दिनांक 23.06.2017; F.I.R. NO 343/2017 दिनांक 19.08.2017) व 107/151 धाराओं के तहत दर्ज की गई F.I.R./D.D.R. No. 23/17 दिनांक 22.06.2017 में पढ कर खुद निर्णय ले सकते हैं कि झूठे मामले में बेकसूर लोगों को फँसाया गया और Paytm से गैर-कानूनी तरीके से निकाले गये रुपयों के मामले में सबूत होने के बावजूद F.I.R. तक नहीं ली गई| ज्ञात रहे कि, पुलिस कमिश्नर (लुधियाना) आरोपी फूड इंस्पैक्टर के दोस्त हैं| इसलिये उपरोक्त सबूतों की सत्यापित कॉपी/सी.डी. दी जाये और इस पूरे मामले की जाँच 'विशेष जाँच टीम (SIT)' का गठन करके की जाये और दोषी पुलिसवालों के विरूद्ध कार्यवाही की जाये|

चन्द्रकला ठाकुर

चंद्रकला ठाकुर
(शिकायतकर्ता)

Information supplied under RTI Act, 2005.
APIO/PSHRC
3/1/19

संलग्न दस्तावेज़ :

- आपकी जानकारी के लिये व कार्यवाही के लिये पहली F.I.R./D.D.R. No. 23/17 दिनांक 22.06.2017 किस तरह झूठी है उसकी शिकायत पुलिस कमिश्नर, लुधियाना व पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग को भेजी गई है, वह साथ में संलग्न है|

प्रतिलिपी :

- DIG/SSP LUDHIANA
- Bureau of Investigation, Pb. Chg
- DGP/Punjab
- Governor of Punjab
- CBI Director
- Punjab State Human Rights Commission

Scanned by CamScanner

89

P-19

Nishu Sehgal Stamp Vendor
License No. 93-C
LUDHIANA

Nishu Sehgal Stamp Vendor
License No. 93-C
LUDHIANA

शपथ-पत्र

मैं पुनीत कुमार पुत्र श्री. विजय कुमार पता: मकान नं. 18/13, गली नं. 6, कबीर नगर, टिब्बा रोड, लुधियाना का रहनेवाला हूँ।

मैं मुकेश ठाकुर पुत्र स्व. इंद्रकांत ठाकुर (पता: मकान नं. 14060, गली नं. 2, राम नगर, टिब्बा रोड, लुधियाना) को बचपन से जानता हूँ क्योंकि वो मेरा बचपन का दोस्त है। मुकेश ठाकुर कई सामाजिक संगठनों (भ्रष्टाचार विरुद्ध जागृति अभियान, जन एडवोकेट पीड़ित ऑर्गेनाइजेशन, लुधियाना फोरम फॉर फास्ट जस्टिस आदि) से जुड़ा हुआ है और उसने कई सामाजिक कार्य किये है साथ ही वह पीड़ीतों व शोषितों की मदद के लिये वह हमेशा आगे रहता है।

पीड़ित जयहिंद गुप्ता के Paytm खाते से पैसा चोरी कर लिया गया था जिसके मामले में उसने सबूतों के साथ सभी विभागों में शिकायतें दी थीं मगर पुलिस विभाग द्वारा सबूत होने के बावजूद Paytm मामले में आजतक कोई कार्यवाही नहीं की गई बल्कि शिकायत करने के बाद बदला लेने व अपना रुतबा दिखाने के लिये आरोपियों व उसके परिवार ने पुलिस के साथ मिलकर मुकेश व जयहिंद पर ही 3-3 झूठी FIR (DDR No. 23/2017 दिनांक 22.06.2017, F.I.R. No. 236/2017 दिनांक 23.06.2017, F.I.R. No. 0343/2017 दिनांक 19.08.2017) दर्ज करवा दीं।

जिसमें F.I.R. No. 0343/2017 दिनांक 19.08.2017 में जो चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई है उसमें मेरे नाम का भी उल्लेख किया गया है, उसमें बताया गया है कि FIR के जाँच अधिकारी मुलक्खन सिंह ने मुझे बताया था कि, वे मुकेश ठाकुर व जयहिंद गुप्ता को इस FIR के मामले में गिरफ्तार कर रहे हैं।

अतः मैं शपथ पूर्वक यह कहना चाहता हूँ कि मुझे कभी भी जाँच अधिकारी मुलक्खन सिंह द्वारा यह नहीं बताया गया कि वे मुकेश गिरफ्तार कर रहे हैं और किस अपराध में गिरफ्तार कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे मालूम है कि जिस वक्त मुकेश का पुलिस अधिकारियों द्वारा गैर-कानूनी तरीके से बिना कागजात दिखाये व जानकारी दिये अपहरण किया था वह समय 19.08.2017 की सुबह 5.30 से 6.00 बजे के बीच का है क्योंकि उसी दिन सुबह-सुबह ही लगभग 6.00 बजे के आसपास मुकेश की स्त्री अनुपम द्वारा मुझे फोन करके यह जानकारी दी गई थी कि पुलिस द्वारा जबरदस्ती गर्दन पकड़कर घर से उठाकर ले गए हैं जिसकी कॉल डीटेल अगर निकाली जायेगी तो उससे यह पुष्टि हो जायेगी।

मैं आश्चर्यचकित रह गया जब मैंने देखा कि पुलिस अपने आपको बचाने के लिये मेरे नाम का इस्तेमाल मेरे दोस्त के खिलाफ कर रही है इसी वजह से मैं यह शपथ-पत्र दे रहा हूँ कि पुलिस झूठ बोल रही है उन्होंने मुझसे कभी भी मुकेश ठाकुर के मामले (FIR 343/2017) में संपर्क नहीं किया और ना ही किसी भी प्रकार के कोई भी कागजात या FIR की कॉपी दी।

मैं ऊपर लिखी बातों को सत्यापित करता हूँ।

Puneet Kumar
पुनीत कुमार
मोब. 99888-76425

Signature Attested
NOTARY PUBLIC
Ludhiana Distt (Pb)

30 DEC 2017

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

(9)

P-20

ਦਫਤਰ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ।

ਵਲੋਂ,

ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ-ਕਮ-
ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ,
ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ।

First Appellate Authority
Amrik Singh, PPS
Superintendent central Jail Ludhiana.
Mob No: 9779800078
email: rtiofficecjldh@yahoo.co.in
Public Information Officer
Narpinder Singh, PPS
Deputy Superintendent
central Jail Ludhiana.
Mob No: 98726-67259
Asstt .Public Information Officer
Parvinder Singh Asstt.Superintendent
central Jail Ludhiana.
Mob No: 81461-94660

ਵੱਲ,

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਲਮ ਝਾਅ ਪਤਨੀ ਧਰਮਕਾਂਤ ਝਾਅ,
ਮਕਾਨ ਨੰ:14060,ਗਲੀ ਨੰ:2, ਰਾਮ ਨਗਰ,
ਟਿਬਾ ਰੋਡ,ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ-141007.

ਨੰ: 15266 (R.T.I) ਮਿਤੀ 26/12/17

ਵਿਸ਼ਾ:- ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ।

****

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪ ਦਾ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਜੋ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਵਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾਲਾਤੀ ਮੁਕੇਸ ਠਾਕੁਰ ਪੁੱਤਰ ਇੰਦਰਕਾਂਤ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਮੈਡਿਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਲੱਕੀ ਉਰਫ ਜੈ ਹਿੰਦ ਪੁੱਤਰ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਦਾ ਮੈਡਿਕਲ ਕਾਰਡ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਭੱਧ ਨਹੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹਿੱਤ ਹੈ।

ਨੱਥੀ :- 01 ਪੰਨੇ

26/12/17
ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ-ਕਮ-
ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ,
ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ।

Scanned by CamScanner

20/8/17 E- 33511/17 at 4:55

91

10

PROFORMA FOR HEALTH SCREENING OF PRISOMERS ON ADMISSOIN TO PRISON

Case no. FIR No 343 dt 19/08/17 u/s 379 B(2), 506, 120B IPC PS Bert. Jodhpur Gh

Name Mukesh Thakur age 28

sex M Thump impression Father /Husbamd

Name. Indar Kanth Thakur Date & Time of admission in the prison

Identification remarks 0.3cm X 0.5cm ... scar on the lateral aspect of right eyebrow

Previous History of Illness

Are you suffering from any disesses Yes / No

If so,the name of the disease

Are you now taking medicines for the same Yes / No

Are you suffering from cough that has lasted Yes / No

For 3 weeks or more

History of drug abuse if any

Any information that the prisoner may volunteer

Physical Examination

Height 5.7 cms, Weight 70 Kg,Last Menstruation

1. Pallor : Yes / No
2. Lymph mode enlargement : Yes / No
3. Clubbing : Yes / No
4. Cyanosis : Yes / No

Leterus : Yes / No

Injury,If any : Yes / No

Blood test Hepatitis/ STD including HIF (with the informed consent of the prisoner

whenever required by law)

Any other CBC / VDRL / HIV / HCV / HBsAg

System- Examination

1. Nervous system
2. Cardio Vasoular system
3. Respirarory system
4. Eye,EnT
5. Castric Intenstimil system abdomen
6. Teath Gum
7. Urins/ Contital System
8. Mental and Psychological status

NAD.

The Medical examination and Investigations were conducted with consent of the prisoner after explaining to him/ her that it was necessary for diagnosis and treatment of the disease from which/ he /she may be suffering.

Date of commencement of medical investigation 20/8/17.

Date of completion of medical investigation

20/8/17

MEDICAL OFFICER

Scanned by CamScanner

L.M. CIVIL HOSPITAL, LUDHIANA. 24 HOURS EMERGENCY

EMO__________ S/N__________ Dt__________

S No	E/CR/Date	Name & Address	Age/Sex	Diagnosis	Lab: CBC	Lab: ET CT	Lab: ABO RH	Lab: FBS	Lab: HIV HBSAG HCV	Lab: Urine Complete	Any Spl. Test	Blood Bank: Blood Transfusion	Radiology: X-ray	Radiology: Ultra-sound	ECG	Minor Stiching	POP, Brace, Ortho. Splints	ASD	Medicine Consumable	Amount Booked	LT Sign.	SN Sign
38)	E-33510/17 4:50pm	Seema w/o Mukesh Kumar R/o Kot Mangal Singh, Military Camp, Ldh	25y F	Gynae Refer	to RH Patiala																	
39)	E-33511/17 4:55pm	Mukesh Thakur S/o Inder [illegible] Thakur R/o 14060, Gali No 2, Ram Nagar, Ldh	28y M	M/E																		
40)	E-33512/17 4:55pm	Lucky @ Jai [illegible] S/o Heera Lal R/o [illegible]4119, St No 2, Ram Nagar, Tibba Road Ldh	33y M	M/E							[illegible] Brought by [illegible] 855, Ldh											
41)	E-33513/17 5:00pm	Mann Singh S/o Amar Singh R/o VPO Jhungian Beghu, Ldh	33y M	MLR/APK/37/17												✓ 150			Inj TT, Inj Diclo			
42)	E-33514/17 5:10pm	Gurpreet Kaur w/o Jaspreet Singh	24y F	FTP																		
	Ad. 20570/17	R/o VPO Chawa Teh. Payal Distt Ldh		Admit LR																		
43)	E-33515/17 5:20pm	Major Singh S/o Amar Singh R/o Jhungian	33y M	MLR/APK/38/17															Inj Diclo			

Attested photocopy under RTI

Senior Medical Officer
L.M. Civil Hospital, Ludhiana

Scanned by CamScanner

93

Chander Kala Vs. State of Punjab

Present: Applicant Chander Kala in person.

An application moved on behalf of applicant Chander Kala against the police officials of PS Basti Jodhewal, Ludhiana before me being Duty Magistrate for illegally detaining her son Mukesh Thakur and his friend Lucky Gupta @ Jai Hind submitting that they have been arrested yesterday by police without any reason or rhyme and till date no FIR has been registered against them. Heard. Let, report from SHO, PS Basti Jodhewal, Ludhiana be called for 21.08.2017. Papers be sent to Ld. concerned court immediately.

(Ekta)

(Unique Identity Code:PB0463)

Manu

JMIC(D)/Ldh/20.08.2017

UNCERTIFIED COPY

Scanned by CamScanner